दृष्टि The Vision

आर्थिक परिदृश्य

2021

- आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21
- बजट 2021-22
- प्रमुख सरकारी योजनाएँ

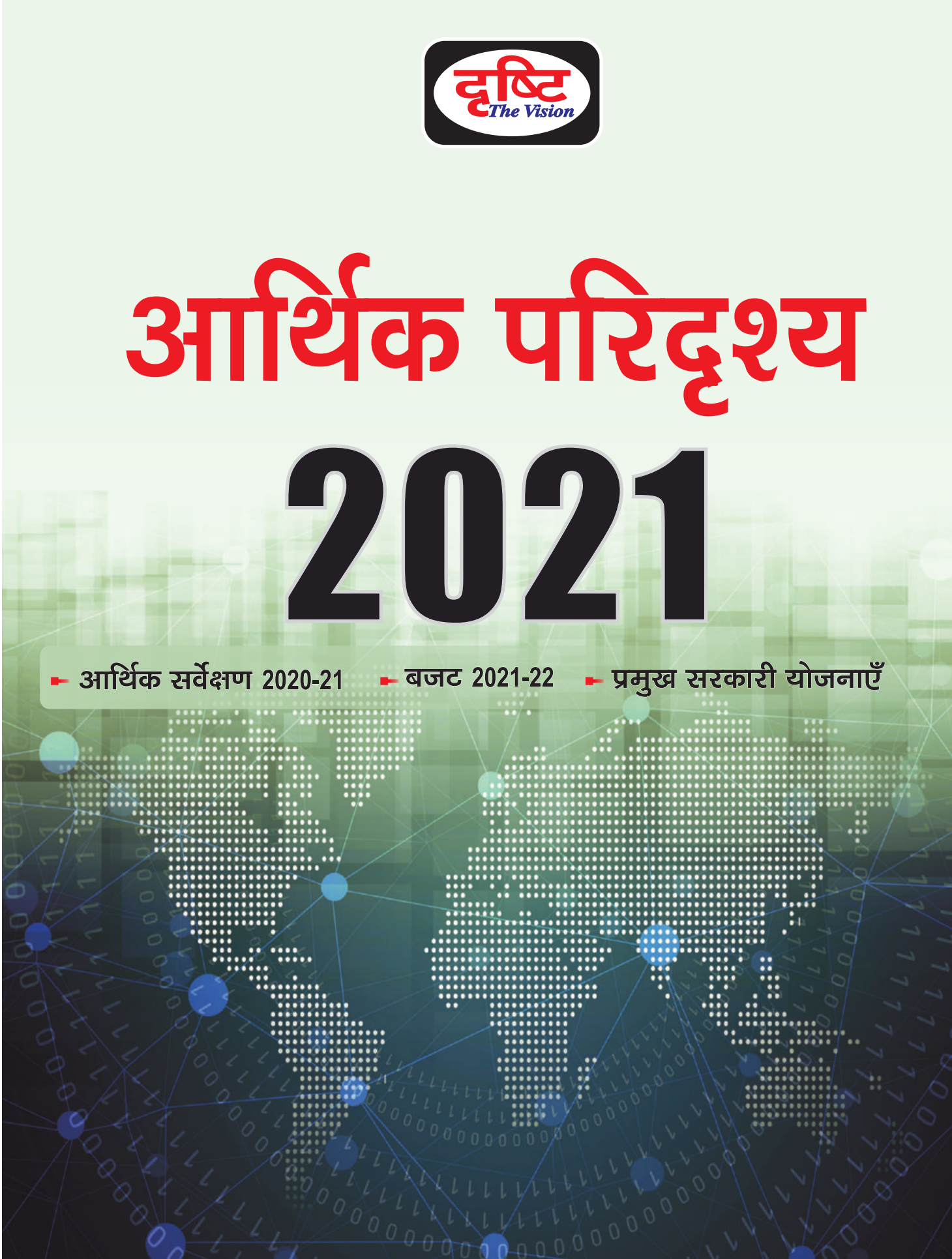

दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध प्रमुख कोर्सेज़

IAS Foundation Course

सामान्य अध्ययन

प्रिलिम्स + मेन्स

- 1200+ घंटों की 500+ कक्षाएँ
- सभी टॉपिक के लिये प्रिंटेड नोट्स
- 3 वर्षों के लिये अन्य विशेष सुविधाएँ

IAS Foundation Course

General Studies

Prelims + Mains

- 400+ Classes of 1000+ hrs.
- Printed Notes of All Segments
- Other special facilities for 3 years

IAS Prelims Course

सामान्य अध्ययन

केवल प्रिलिम्स

- 500+ घंटों की कक्षाएँ
- 'क्विक बुक सीरीज़' की 9 पुस्तकें
- 2 वर्षों के लिये अन्य विशेष सुविधाएँ

IAS + UPPCS + BPSC Optional Subject

हिंदी साहित्य

द्वारा- डॉ. विकास दिव्यकीर्ति

- 400+ घंटों की कक्षाएँ
- पाठ्यक्रम में शामिल सभी पाठ्य-पुस्तकें तथा प्रिंटेड नोट्स
- 145 दैनिक अभ्यास प्रश्न और 18 टेस्ट पेपर (मॉडल उत्तर सहित)

BPSC Prelims Course

बिहार PCS

- 500+ घंटों की कक्षाएँ
- 'BPSC सीरीज़' की 8 पुस्तकें
- 2 वर्षों के लिये अन्य विशेष सुविधाएँ

RAS/RTS Prelims Course

राजस्थान PCS

- 500+ घंटों की कक्षाएँ
- 'RAS सीरीज़' की 8 पुस्तकें
- 2 वर्षों के लिये अन्य विशेष सुविधाएँ

एथिक्स (पेपर-4)

द्वारा- डॉ. विकास दिव्यकीर्ति

- कुल 70 कक्षाएँ
- IAS के साथ-साथ UPPCS के लिये पूर्णतः सटीक
- मूल्यांकन की सुविधा के साथ 6 टेस्ट

निबंध

द्वारा- डॉ. विकास दिव्यकीर्ति

- कुल 13 कक्षाएँ
- IAS के साथ-साथ PCS के लिये पूर्णतः सटीक
- मूल्यांकन की सुविधा के साथ 20 टेस्ट

अतिरिक्त जानकारी के लिये 9311406442 नंबर पर कॉल या वाट्सएप करें

विज़िट करें www.drishtiIAS.com

अपने फोन पर इंस्टॉल करें Drishti Learning App

आर्थिक परिदृश्य 2021

दृष्टि पब्लिकेशन्स

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष: 011-47532596, 87501 87501
Website : www.drishtiias.com
E-mail : booksteam@groupdrishti.com

शीर्षक : आर्थिक परिदृश्य 2021

लेखक : टीम दृष्टि

संस्करण : सितंबर 2021

मूल्य : ₹ 260

प्रकाशक

VDK Publications Pvt. Ltd.

(दृष्टि पब्लिकेशन्स)

641, प्रथम तल,

डॉ. मुखर्जी नगर,

दिल्ली-110009

विधिक घोषणाएँ

- इस पुस्तक में प्रकाशित सूचनाएँ, समाचार, ज्ञान एवं तथ्य पूरी तरह से सत्यापित किये गए हैं। फिर भी, यदि कोई जानकारी या तथ्य गलत प्रकाशित हो गया हो तो प्रकाशक, संपादक या मुद्रक उससे किसी व्यक्ति-विशेष या संस्था को पहुँची क्षति के लिये ज़िम्मेदार नहीं है।
- हम विश्वास करते हैं कि इस पुस्तक में छपी सामग्री लेखकों द्वारा मौलिक रूप से लिखी गई है। अगर कॉपीराइट उल्लंघन का कोई मामला सामने आता है तो प्रकाशक को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।
- सभी विवादों का निपटारा दिल्ली न्यायिक क्षेत्र में होगा।
- © **कॉपीराइट :** दृष्टि पब्लिकेशन्स (A Unit of VDK Publications Pvt. Ltd.), सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रकाशन अथवा उपयोग, प्रतिलिपीकरण, ऐसे यंत्र में भंडारण जिससे इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता हो या स्थानान्तरण, किसी भी रूप में या किसी भी विधि से (इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी अन्य प्रकार से) प्रकाशक की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकता।
- एम.पी. प्रिंटर्स, बी-220, फेज़-2, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित।

दो शब्द...

प्रिय पाठको,

हमने वर्ष 2016 में पहली बार 'आर्थिक परिदृश्य' का प्रकाशन किया था। तब यह दुविधा थी कि इस महत्त्वपूर्ण दस्तावेज़ को किस प्रकार संयोजित किया जाए कि सभी पुस्तकों की परीक्षोपयोगी समस्त सामग्री भी आ जाए और ऐसा करते हुए पाठ रुचिकर भी बना रहे। हमारी टीम ने ख़ूब मेहनत की और एक पुस्तक के रूप में इसे प्रस्तुत किया। इसके बाद पाठकीय प्रतिक्रिया के रूप में ढेर सारी उत्साहजनक बातें हम तक पहुँचीं, अच्छे सुझाव भी आए। आप विद्यार्थियों ने इस पुस्तक को संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग तथा विभिन्न एकदिवसीय परीक्षाओं के लिये उपयोगी बताया। आपके सुझावों के अनुरूप हमने इसकी रूपरेखा में भी आवश्यक बदलाव किये और अब हम 'आर्थिक परिदृश्य-2021' के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। हमें पूरा भरोसा है कि अन्य पुस्तकों की तरह हमारी यह पुस्तक भी आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएगी।

आप इस बात से भलीभाँति परिचित हैं कि सिविल सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम में 'भारतीय अर्थव्यवस्था' खंड का महत्त्वपूर्ण स्थान है। जहाँ एक तरफ प्रारंभिक परीक्षा में यह खंड सफलता की कुंजी के रूप में स्थापित है, वहीं दूसरी तरफ मुख्य परीक्षा में भी इसके बिना अच्छे अंक प्राप्त करना लगभग असंभव है। इसका मुख्य कारण यह है कि अर्थव्यवस्था की विभिन्न अवधारणाओं एवं तथ्यों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध सामान्य अध्ययन के अन्य विषयों, जैसे- सामाजिक न्याय एवं कल्याण से संबंधित मुद्दों, आर्थिक और सामाजिक विकास, राजव्यवस्था, गवर्नेंस, समसामयिकी इत्यादि से है। इसके अलावा लगभग प्रतिवर्ष निबंध खंड में कम-से-कम एक निबंध आर्थिक मुद्दे से संबंधित होता ही है। अब यदि सिविल सेवा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भारतीय अर्थव्यवस्था खंड का विश्लेषण करें, तो हम पाते हैं कि इस खंड में 'आर्थिक सर्वेक्षण' का महत्त्वपूर्ण स्थान है। जैसा कि आप जानते ही हैं, सिविल सेवा परीक्षा (प्रारंभिक + मुख्य) के प्रश्नों का झुकाव समसामयिक मुद्दों की ओर अधिक होता है, यह बात भारतीय अर्थव्यवस्था खंड पर भी लागू होती है। ऐसे में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में इस खंड से संबंधित प्रश्नों के साथ 'आर्थिक सर्वेक्षण' के अध्ययन के बिना न्याय नहीं किया जा सकता। ध्यातव्य है कि सिविल सेवा परीक्षा के वृहद् सिलेबस और बाज़ार में उपलब्ध पाठ्य सामग्री की भरमार के दौर में यह अपरिहार्य हो जाता है कि हम सफल होने के लिये सटीक रणनीति का अनुसरण करें। इसके लिये आवश्यक है कि जिस भी पाठ्य सामग्री को पढ़ें, उसका प्रयोग सिलेबस के अन्य खंडों में भी करने की आदत डालें। याद रखिये, अगर आप इस योजना में सफल होते हैं तो निस्संदेह सफलता दूर नहीं है। इस दृष्टि से 'आर्थिक परिदृश्य' एक गुणवत्तापरक एवं प्रामाणिक पाठ्य सामग्री है जिसका उपयोग न केवल आप अपने अर्थव्यवस्था (प्रारंभिक + मुख्य परीक्षा) खंड को मज़बूत बनाने के लिये कर सकते हैं, बल्कि सामान्य अध्ययन के अन्य खंडों के उत्तरों की गुणवत्ता बढ़ाने में भी इसका उपयोग अत्यंत सरल तरीके से कर सकते हैं। अगर आप उपर्युक्त रणनीति से 'आर्थिक परिदृश्य' का अध्ययन करते हैं तो यह आपके लिये बोझिल भी नहीं होगा तथा इस पाठ्य साम्रगी के ज़रिये आप अधिक अंक भी अर्जित कर सकेंगे।

प्रस्तुत पुस्तक मुख्य रूप से भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित 'आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21' का सार है। इसमें 'आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21' के खंड-I एवं खंड-II का अध्यायवार संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण अत्यंत बोधगम्य, रुचिकर एवं प्रवाहमय भाषा में किया गया है। इस पुस्तक में संघीय बजट 2021-22 के अंतर्गत विभिन्न महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों, जैसे- कृषि, अवसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेलवे आदि के विकास हेतु किये जाने वाले आवंटन एवं रणनीतियों का भी बिंदुवार संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण किया गया है। इसमें 'आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21' में प्रस्तुत की गई भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थितियों, विद्यमान चुनौतियों, भावी संभावनाओं तथा विभिन्न क्षेत्रों की विगत वर्षों की उपलब्धियों एवं परिणामों का विश्लेषण भी किया गया है।

इस पुस्तक में आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 और संघीय बजट 2021-22 में उल्लिखित प्रमुख योजनाओं को भी शामिल किया गया है, जो प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के लिये बेहद उपयोगी हैं। चूँकि आर्थिक सर्वेक्षण को समझना एक जटिल कार्य है, इसलिये विषय-वस्तु की जटिलता को ध्यान में रखते हुए अत्यंत सरल एवं सहज भाषा के साथ ग्राफिक्स, चार्ट, बॉक्स आदि के माध्यम से सूचनाओं को दर्शाया गया है। हमने आर्थिक सर्वेक्षण के अंग्रेज़ी संस्करण को आधार बनाते हुए ही इस पुस्तक को तैयार किया है ताकि तथ्यों की प्रामाणिकता अक्षुण्ण रहे। साथ ही तकनीकी आर्थिक शब्दावली के हिंदी रूपांतरण के समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि अनुवाद सरल एवं सहज हो, फिर भी सुविधा के लिये मूल शब्द कोष्ठक में लिख दिये गए हैं।

हमें विश्वास है कि पुस्तक का यह संस्करण आपके लिये बेहद उपयोगी सिद्ध होगा। आपसे निवेदन है कि आप इसे सिर्फ पाठक के रूप में न पढ़ें, बल्कि आलोचक की नज़र से भी पढ़ें। इस पुस्तक के संदर्भ में आप अपने सुझाव/टिप्पणियाँ बेझिझक **'8130392355'** नंबर पर वाट्सएप मैसेज से भेज सकते हैं। आपके द्वारा भेजे गए सुझाव/टिप्पणियाँ इस पुस्तक के आगामी संस्करण को और बेहतर बनाने में सहायक होंगे।

साभार,
प्रधान संपादक
दृष्टि पब्लिकेशन्स

अनुक्रम

खंड–I

1. सदी में विरले ही आने वाले संकट में जीवन और आजीविका को बचाना 3
2. क्या विकास ऋण स्थिरता को जन्म देता है? हाँ, लेकिन इसके विपरीत नहीं! 15
3. क्या भारत की संप्रभु क्रेडिट रेटिंग उसके मूलतत्त्वों को दर्शाती है? नहीं! 30
4. असमानता और विकास : संघर्ष या अभिसरण? 46
5. अंततोगत्वा हेल्थकेयर ने अहम् स्थान पा लिया! 59
6. प्रक्रिया सुधार : अनिश्चितता के तहत निर्णय लेने को सक्षम करना 67
7. विनियामक रियायतें : एक आपातकालीन औषधि न कि मुख्य आहार! 76
8. नवाचार : नवाचार को अधिक प्रोत्साहन देने की आवश्यकता, विशेषकर निजी क्षेत्र से 85
9. जय हो : आयुष्मान भारत–जन आरोग्य योजना और स्वास्थ्य परिणाम 96
10. ज़रूरी आवश्यकताएँ 105

खंड–II

1. 2020-21 अर्थव्यवस्था की स्थिति : एक वृहद दृष्टिकोण 111
2. राजकोषीय विकास 125
3. वैदेशिक क्षेत्र 135
4. मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता 146
5. कीमतें और मुद्रास्फीति 159
6. सतत विकास और जलवायु परिवर्तन 170
7. कृषि और खाद्य प्रबंधन 181
8. उद्योग और आधारभूत संरचना 197
9. सेवाएँ 213
10. सामाजिक अवसंरचना, रोज़गार और मानव विकास 223

खंड–III

1. बजट 2021-22 237
2. प्रमुख सरकारी योजनाएँ 243

खंड

I & II

आर्थिक सर्वेक्षण (2020-21)

सार तथा विश्लेषण

1 सदी में विरले ही आने वाले संकट में जीवन और आजीविका को बचाना (Saving Lives and Livelihoods Amidst a Once-in-a-Century Crisis)

आपदि प्राणरक्षा हि धर्मस्य प्रथमाङ्कुरः ।
अर्थात् आपदाग्रस्त जीव की प्राण रक्षा करना ही धर्म है।
–महाभारत (शांतिपर्व), अध्याय 13, श्लोक संख्या 598

कोविड–19 महामारी ने वर्ष 2020 में सदी में विरले ही आने वाले वैश्विक संकट को जन्म दिया है–एक अद्वितीय मंदी, जहाँ 90 प्रतिशत देशों की प्रति व्यक्ति जीडीपी में संकुचन होने का अनुमान है। महामारी की शुरुआत में अभूतपूर्व अनिश्चितता का सामना करते हुए, भारत ने दीर्घकालिक लाभ के लिये अल्पकालिक नुकसान उठाने की इच्छा से, जीवन और आजीविका को बचाने पर ध्यान केंद्रित किया। मानवीय सिद्धांत से उपजी भारत की प्रतिक्रिया की महाभारत में स्पष्ट रूप से वकालत की गई है कि "आपदाग्रस्त जीव की प्राण रक्षा करना ही धर्म है।" इसलिये भारत ने माना कि जीडीपी वृद्धि महामारी के कारण हुए अस्थायी सदमे से तो उभर जाएगी, लेकिन मानव जीवन की क्षति को वापस नहीं लाया जा सकता है। इस प्रतिक्रिया ने महामारी विज्ञान और आर्थिक अनुसंधान पर, विशेष रूप से स्पेनिश फ्लू से संबंधित अनुसंधान आकर्षित किया, जिसने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रारंभिक, सख्त लॉकडाउन ने मध्यम से लंबी अवधि में आर्थिक सुधार के माध्यम से जीवन बचाने और आजीविका को संरक्षित करने के लिये एक जीत की रणनीति प्रदान की।

यह रणनीति, महामारी के प्रति भारत की अद्वितीय संवेदनशीलता के अनुरूप भी थी। पहला, चूँकि महामारी के प्रसार की गति नेटवर्क प्रभावों पर निर्भर करती है, एक बड़ी आबादी स्वाभाविक रूप से प्रसार की उच्च गति को सक्षम बनाती है। दूसरा, जैसा कि महामारी मानव संपर्क के माध्यम से फैलती है, उच्च जनसंख्या घनत्व, विशेष रूप से पिरामिड के निचले भाग में, स्वाभाविक रूप से शुरुआत में ही महामारी के प्रसार में मदद करता है। तीसरा, हालाँकि भारत की औसत आयु कम है लेकिन अतिसंवेदनशील वृद्ध आबादी, अन्य देशों की तुलना में काफी अधिक है। अंत में, अत्यधिक बोझ तले दबी स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सुविधाओं ने देश को एक विशालकाय आपूर्ति–मांग असंतुलन से अवगत कराया, जिसके गंभीर रूप से घातक परिणाम हो सकते थे। वास्तव में, मार्च और अप्रैल में कई अंतरराष्ट्रीय संस्थानों द्वारा करोड़ों मामलों और कई हजारों मौतों का आकलन, संभवत: ऐसी कमजोरियों से उपजी चिंताओं को दर्शाता है।

अपनी रणनीति को लागू करने के लिये, भारत ने महामारी की शुरुआत में सबसे कठोर लॉकडाउन लगाया। इसने महामारी के वक्र को समतल होने में सक्षम किया और इस प्रकार, स्वास्थ्य और परीक्षण के बुनियादी ढाँचे को जुटाने के लिये आवश्यक समय प्रदान किया। भारी अनिश्चितता का सामना करते हुए, भारत ने आर्थिक गतिविधियों को धीरे–धीरे अनलॉक और आसान करते हुए अपनी प्रतिक्रिया को लगातार जाँचने के लिये बायोसियन अपडेटिंग की रणनीति अपनाई।

नोट: *पूर्व संभाव्यता से पीछे की ओर जाने की प्रक्रिया को 'बायोसियन अपडेटिंग' कहा जाता है। यह प्रत्येक संभावित परिकल्पना की संभावना के बारे में हमारी समझ को बदलने के लिये डेटा का उपयोग करता है।*

इस अध्याय में सबूतों की अधिकता का उपयोग करते हुए, सर्वेक्षण इस रणनीति के लाभों को प्रदर्शित करता है। भारत ने जीवन और आजीविका के बीच अल्पकालिक व्यापार–बंद को मध्यम से दीर्घावधि की दोहरी जीत के रूप में बदल दिया है जो जीवन और आजीविका दोनों को बचाता है। अपनी जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, जनसांख्यिकी, परीक्षण, और स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे के आधार पर देशों में अपेक्षित प्राकृतिक मामलों और मौतों की संख्या का अनुमान लगाकर, हम इन अनुमानों की वास्तविक संख्या के साथ तुलना करते हैं कि भारत ने कोविड –19 के प्रसार को 37 लाख तक रोका तथा 1 लाख से अधिक लोगों की जान बचाई। उत्तर प्रदेश, गुजरात और बिहार ने मामलों के प्रसार को सबसे अच्छे तरीके से रोका है; केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने सबसे ज्यादा जाने बचाई हैं; महाराष्ट्र ने मामलों के प्रसार को सीमित करने और लोगों की जान बचाने में सबसे कम प्रदर्शन किया है। विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रारंभिक और अधिक कठोर लॉकडाउन भारत में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों ही सूरतों में महामारी के प्रसार को नियंत्रित करने में प्रभावी रहे हैं।

राज्य स्तर सर्वेक्षण पर एक सख्त सूचकांक निर्माण द्वारा दर्शाया गया है कि केसों और मृत्यु (अपेक्षित से तुलना) में कम या अधिक प्रदर्शन, लॉकडाउन में सख्ती से मजबूती से सहसंबंधित है। इसी तरह, V–आकार की अर्थव्यवस्था बहाली भी लॉकडाउन में सख्ती से मजबूती से सहसंबंधित है। यह इस चिंता को कम करता है कि लॉकडाउन के प्रभाव के विषय में अनुमान, भारत के लिये विशिष्ट कारकों जैसे कि उच्च स्तर की प्रतिरक्षा, बीसीजी टीकाकरण आदि के कारण हैं। जैसा कि भारत विशिष्ट कारक सभी राज्यों के लिये समान है, उन्हें इस सहसंबंध के लिये जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अत: सर्वेक्षण यह साबित करता है कि जीवन रक्षण और आर्थिक बहाली पर लॉकडाउन का थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार भारत, लॉकडाउन कर्व के शिखर को सितम्बर, 2020 में सफलतापूर्ण दबाने से लाभांवित हुआ। इस शिखर के उपरांत, बढ़ती गतिशीलता के बावजूद भारत अद्वितीय रूप से दैनिक मामलों में कमी को अनुभव कर रहा है।

जैसा कि पहली तिमाही में जीडीपी में 23.9 प्रतिशत का संकुचन हुआ था, सुधार V-आकार का हुआ, जिसे दूसरी तिमाही में 7.5% की गिरावट और सभी प्रमुख आर्थिक संकेतकों में सुधार के रूप में देखा गया है। आर्थिक शोधों से सीखने के क्रम में, शुरुआत में अधिक कड़ाई बरतने वाले राज्यों में वर्ष के दौरान आर्थिक क्रियाकलापों में पुन: तेज़ी आयी है।

2 क्या विकास ऋण स्थिरता को जन्म देता है? हाँ, लेकिन इसके विपरीत नहीं! (Does Growth Lead to Debt Sustainability? Yes, But not Vice-Versa!)

प्रजानामेव भूत्यर्थं स ताभ्यो बलिमग्रहीत्।
सहस्रगुणमुत्स्रष्टुमादत्ते हि रसं रविः॥

(राज्य जनता से केवल उनके कल्याणार्थ उसी प्रकार कर वसूलता है जिस प्रकार सूर्य पृथ्वी से जल अवशोषित कर पुनः हज़ार गुना करके वर्षा के रूप में पृथ्वी को लौटा देता है।) *–कालिदास (रघुवंशम् से)*

क्या विकास ऋण स्थिरता को जन्म देता है? या, राजकोषीय बचत विकास को बढ़ावा देती है? कोविड-19 संकट के बीच राजकोषीय खर्च की आवश्यकता को देखते हुए, ये प्रश्न महत्त्वपूर्ण हैं। यह अध्याय स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि विकास भारतीय संदर्भ में ऋण स्थिरता की ओर जाता है लेकिन इसके विपरीत नहीं। ऐसा इसलिये है क्योंकि भारत सरकार द्वारा भुगतान किये गए ऋण पर ब्याज दर आदर्श द्वारा भारत की विकास दर से कम है। ब्लैंचर्ड (2019) अमेरिकी आर्थिक संघ के अपने 2019 के अध्यक्षीय संबोधन में बताते हैं: "अगर सरकार द्वारा भुगतान की गई ब्याज दर वृद्धि दर से कम है, तो सरकार का सामना करने वाला इंटरटेम्पोरल बजट बाधा अब बाध्य नहीं है।" यह घटना इस बात पर प्रकाश डालती है कि ऋण स्थिरता "ब्याज दर वृद्धि दर अंतर" (IRGD) पर निर्भर करती है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, अत्यंत कम ब्याज दर, जिसने एक ओर नकारात्मक आईआरजीडी का नेतृत्व किया है, और दूसरी ओर मौद्रिक नीति की सीमाएँ रखी हैं, जिससे राजकोषीय नीति की भूमिका पर पुनर्विचार हुआ है। भारत में नकारात्मक IRGD (ब्याज दरों के कारण नहीं बल्कि बहुत अधिक विकास दर के कारण) विशेष रूप से विकास मंदी और आर्थिक संकट के दौरान राजकोषीय नीतियों को लेकर बहस शुरू हो जाती है। कार्य-कारण के बारे में भ्रम-वृद्धि से लेकर ऋण स्थिरता या इसके विपरीत-कई वृहद आर्थिक घटनाओं की विशेषता है, जहाँ कार्य-कारण की पहचान करने के लिये प्राकृतिक प्रयोग असामान्य हैं। विकास और ऋण स्थिरता के विशिष्ट संदर्भ में, यह भ्रम इस तथ्य से भी उपजा है कि अकादमिक और नीति साहित्य मुख्य रूप से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं पर केंद्रित है, जहाँ भारत की तुलना में कार्य क्षमता कम संभावित विकास से उलझा हुआ है। वास्तव में, अध्याय कई देशों के साक्ष्यों का अध्ययन करता है ताकि यह दिखाया जा सके कि विकास उच्च विकास दर वाले देशों में कर्ज़ का कारण बन सकता है; कम विकास दर वाले देशों में कारण दिशा के बारे में ऐसी स्पष्टता नहीं देखी गई है। कॉरपोरेट फाइनेंस के विचारों को सरकारी ऋण a la Bolton (2016) में एकीकृत करके, सर्वेक्षण यह समझने के लिये वैचारिक नींव रखता है कि ये अंतर उच्च विकास वाली उभरती अर्थव्यवस्थाओं और कम-वृद्धि वाली उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के बीच क्यों प्रकट हो सकते हैं। जैसा कि कोविड-19 महामारी ने मांग के लिये एक महत्त्वपूर्ण नकारात्मक आघात पैदा किया है, सक्रिय राजकोषीय नीति-एक जो यह मानती है कि आर्थिक संकटों के दौरान राजकोषीय गुणकों की मात्रा अधिक होती है-यह सुनिश्चित कर सकती है कि उत्पादन क्षमता के संभावित नुकसान को सीमित करके मौलिक आर्थिक सुधारों को पूरा लाभ उठाया जा सके। जैसा कि भविष्य में IRGD के नकारात्मक होने की आशंका है, एक राजकोषीय नीति जो विकास को गति प्रदान करती है, से ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात कम होगा न कि उच्च। सर्वेक्षण में स्पष्ट किया गया है कि सक्रिय चक्रीय राजकोषीय नीति बौद्धिक बाध्यता के निराकरण का आह्वान है न कि राजकोषीय गैर-ज़िम्मेदारी का। यह राजकोषीय नीति के खिलाफ असममित पूर्वाग्रह को समाप्त करने के लिये है।

कोविड-19 संकट के दौरान, राजकोषीय नीति का दुनिया भर में महत्त्व काफी बढ़ा है। स्वाभाविक रूप से, राजकोषीय विस्तार का समर्थन करने के लिये उच्च सरकारी ऋण के आसपास बहस भविष्य के विकास, ऋण स्थिरता, संप्रभु रेटिंग और बाहरी क्षेत्र पर संभावित कमज़ोरियों के लिये इसके निहितार्थ के बारे में चिंताओं के साथ है। यह अध्याय एक संकट के दौरान भारत में राजकोषीय नीति के इष्टतम रुख की जाँच करता है और यह स्थापित करता है कि विकास भारतीय संदर्भ में ऋण स्थिरता की ओर जाता है और ज़रूरी नहीं कि इसके विपरीत हो।

आर्थिक चक्रों को तीव्र करने की जगह सुचारु करने के लिये सामान्यतः राजकोषीय नीति को प्रति-चक्रीय होना चाहिये। जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के लिये देखा जाता है, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के नेट बैलेंस के बीच संबंध लगभग पूरी तरह से नकारात्मक (-0.9) है। भारत में, हालाँकि, राजकोषीय नीति सामान्य रूप से प्रति-चक्रीय नहीं रही है।

सरकारी और निजी क्षेत्र में रुझान : भारत (FY 1987 – FY 2019)

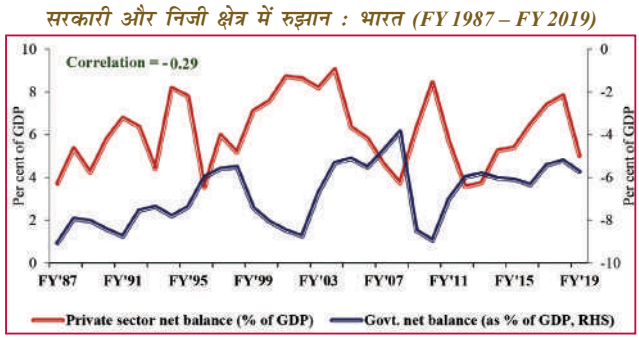

स्रोत: RBI, MoSPI

3 क्या भारत की संप्रभु क्रेडिट रेटिंग उसके मूलतत्त्वों को दर्शाती है? नहीं!
(Does India's Sovereign Credit Rating Reflect Its Fundamentals? No!)

"निर्भय चित हो, मस्तक हो ऊँचा हमारा,
हे प्रभु, ऐसे स्वतंत्रतारूपी स्वर्ग के लिये देश जागृत हो हमारा"!
-रबींद्रनाथ टैगोर

संप्रभु क्रेडिट रेटिंग के इतिहास में दुनिया की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को कभी भी निवेश ग्रेड बीबीबी-/बीएए3 (BBB-/Baa3) के निम्नतम पायदान की रेटिंग नहीं दी गई है। आर्थिक क्षमता को दर्शाते हुए और कर्ज चुकाने की क्षमता में पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से एएए का दर्जा दिया जाता रहा है। चीन और भारत इस नियम के एकमात्र अपवाद हैं- 2005 में चीन को ए-/ए2 (A-/A2) का दर्जा दिया गया था और अब भारत को बीबीबी-/बीएए3 का दर्जा दिया गया है। यह संप्रभु क्रेडिट रेटिंग जिन मूलभूत सिद्धांतों पर दी जाती रही हैं उन्हें देखते हुए यह ऐतिहासिक विषमता क्या तर्कसंगत लगती है? आर्थिक सर्वेक्षण के इस अध्याय में इस प्रश्न पर विचार किया गया और यह पाया गया कि यह बिल्कुल सही नहीं है।

अपनी संप्रभु क्रेडिट रेटिंग समूह के भीतर- एसएंडपी / मूडीज के लिये ए+/ए1 और बीबीबी-/बीएए3 के बीच मूल्यांकन किये गए देशों में भारत कई मापदंडों पर स्पष्ट रूप से अपवाद है अर्थात् ऐसा संप्रभु जिसकी रेटिंग, संप्रभु रेटिंग के लिये निर्धारित पैरामीटर से बहुत कम है। इनमें जीडीपी विकास दर, मुद्रास्फीति, सामान्य सरकारी ऋण (जीडीपी के प्रतिशत के अनुसार), चक्रवृद्धीय रूप से समायोजित प्राथमिक शेष (संभाव्य जीडीपी के प्रतिशत के अनुसार), चालू खाता शेष (जीडीपी के प्रतिशत के अनुसार), राजनीतिक स्थिरता, कानून का शासन, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, निवेशक संरक्षण, व्यापार करने में आसानी, अल्पकालिक बाह्य ऋण (भंडार के प्रतिशत के अनुसार), आरक्षित पर्याप्तता अनुपात और संप्रभु व्यतिक्रम पृष्ठभूमि (Sovereign Default History) शामिल है। यह आपवादिक स्थिति न केवल अब, बल्कि पिछले दो दशकों से बनी हुई है।

क्रेडिट रेटिंग उधारकर्त्ता की कर्ज चुकाने की संभावना दर्शाती है और अपने कर्ज चुकाने में उधारकर्त्ता की इच्छा और क्षमता को इंगित करती है। भारत का इतिहास गवाह है कि भारत ने हमेशा कर्ज का भुगतान किया है और यह बात भारत के शून्य संप्रभु कर्ज व्यतिक्रम (Default) से प्रमाणित होती है। भारत की भुगतान करने की क्षमता का पता न केवल अत्यंत कम विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग के ऋण से लगाया जा सकता है, बल्कि इसके विदेशी मुद्रा के बड़े भंडार से भी लगाया जा सकता है जिससे निजी क्षेत्र के अल्पावधि ऋण का भुगतान किया जा सकता है और साथ ही भारत के सम्पूर्ण विदेशी ऋण का भुगतान भी किया जा सकता है, जिसमें निजी क्षेत्र का ऋण शामिल है। सितंबर 2020 तक भारत का गैर-सरकारी अल्पावधि विदेशी मुद्रा भंडार ऋण का 19 प्रतिशत था। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अतिरिक्त 2.8 मानक विचलन नकारात्मक घटना को कवर कर सकता है, अर्थात् एक ऐसी घटना, जो सभी अल्पावधि ऋण को पूरा करने के बाद, 0.1 प्रतिशत कम होने की संभावना के साथ प्रकट होने की उम्मीद की जा सकती है। 15 जनवरी, 2021 तक भारत का विदेशी मुद्रा भण्डार 584.24 यूएस डॉलर था जो सितंबर 2020 तक 556.2 बिलियन यूएस डॉलर के कुल विदेशी ऋण जिसमें (निजी क्षेत्र विदेशी ऋण शामिल है) से अधिक है। इसीलिये, कॉरपोरेट फाइनेंस पार्लेंस में, भारत ऋणात्मक ऋण वाली फर्म के समान है, जिसकी डिफॉल्ट करने की संभावना शून्य है। इन मज़बूत आँकड़ों के बावजूद, भारत अपने रेटिंग समूह में पिछड़ा हुआ है। सर्वेक्षण के निष्कर्ष बड़े अकादमिक साहित्य के अनुरूप हैं जो संप्रभु क्रेडिट रेटिंग्स में पूर्वाग्रह और विशिष्टता को उजागर करते हैं, विशेष रूप से कम रेटिंग वाले देशों की तुलना में।

चूँकि रेटिंग भारत के मूलतत्त्वों को प्रतिबिंबित नहीं करती है, इसीलिये यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत के लिये संप्रभु क्रेडिट रेटिंग परिवर्तनों की पूर्व पृष्ठभूमि, सेंसेक्स की बहाली, विदेशी विनिमय दर और सरकारी प्रतिभूतियों पर आय जैसे चुनिंदा संकेतकों पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। रेटिंग परिवर्तनों की पूर्व पृष्ठभूमि का मैक्रोइकोनॉमिक संकेतकों के साथ कोई संबंध नहीं है या कमजोर संबंध है।

इसीलिये, भारत की राजकोषीय नीति को भारत के मूलतत्त्वों के प्रति अस्पष्ट/पक्षपात पूर्ण रवैये के प्रति कृतज्ञ नहीं रहना चाहिये और इसके बजाय गुरुदेव रबींद्रनाथ ठाकुर की भयमुक्त चित्त की भावना को प्रतिबिंबित करना चाहिये। रेटिंग मूलतत्त्वों को प्रतिबिंबित नहीं कर रही है इसके बावजूद, अस्पष्ट, अपारदर्शी और पक्षपातपूर्ण क्रेडिट रेटिंग एफपीआई (FPI) प्रवाह को नुकसान पहुँचाती है। इसीलिये यह अनिवार्य है कि सभी देश सीआरए (CRAs) के साथ मिलकर काम करें ताकि सीआरए के काम करने के तरीके में सुधार किया जा सके और देशों की अर्थव्यवस्थाओं की क्षमता और विदेश देयताओं का भुगतान करने की उनकी इच्छा को प्रतिबिंबित किया जा सके। इसके अलावा, क्रेडिट रेटिंग की प्रो-साइक्लिकलिटी प्रकृति और अर्थव्यवस्थाओं पर इसके संभावित प्रतिकूल प्रभाव, विशेष रूप से कम-रेटेड विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की समस्याओं का तेज़ी से समाधान किया जाना चाहिये। भारत ने पहले ही जी-20 में क्रेडिट रेटिंग की प्रो-साइक्लिकलिटी का मुद्दा उठाया है। जवाब में, वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) अब क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड की प्रो-साइक्लिकलिटी का आकलन करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

भारत का कुल ऋण (सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के अनुसार) और संप्रभु क्रेडिट रेटिंग परिवर्तन

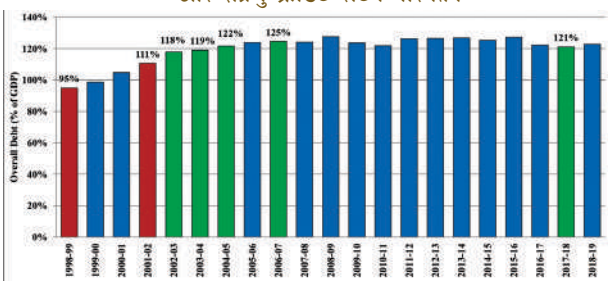

स्रोत: आईएमएफ

- अगला चित्र 1998-2020 के दौरान संप्रभु क्रेडिट रेटिंग परिवर्तनों के संबंध में भारत की उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति (वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन) को दर्शाता है। मुद्रास्फीति और संप्रभु क्रेडिट रेटिंग में परिवर्तन के बीच संबंध का पैटर्न स्पष्ट नहीं है।

भारत का उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति (वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन) और संप्रभु क्रेडिट रेटिंग परिवर्तन

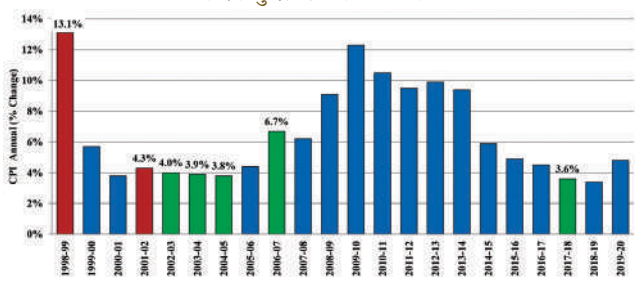

स्रोत: आरबीआई और आईएमएफ

भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट (जीडीपी के प्रतिशत के अनुसार) और संप्रभु क्रेडिट रेटिंग बदलाव

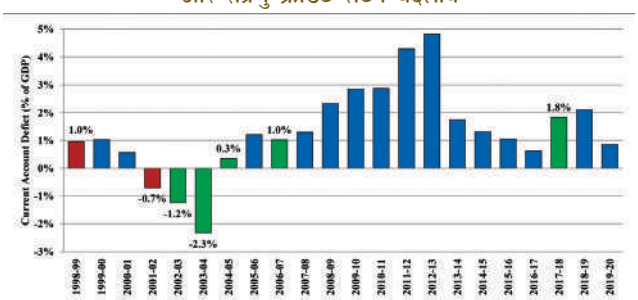

स्रोत: आरबीआई

नोट: लाल रेटिंग डाउनग्रेड का वर्ष दर्शाता है. हरा रेटिंग अपग्रेड का वर्ष दर्शाता है

- उपर्युक्त चित्र 1998-20 की अवधि के दौरान संप्रभु क्रेडिट रेटिंग में परिवर्तन के संबंध में भारत के चालू खाता घाटे (जीडीपी के प्रतिशत के अनुसार) को दर्शाया गया है। संप्रभु क्रेडिट रेटिंग में बदलाव और चालू खाते के घाटे के बीच संबंध का पैटर्न स्पष्ट नहीं है।
- अगले चित्र में इन व्यापक आर्थिक संकेतकों (जीडीपी वृद्धि, राजकोषीय घाटा, सामान्य सरकारी ऋण, समग्र ऋण, मुद्रास्फीति और चालू खाता घाटा) के वार्षिक प्रदर्शन में औसत से पहले और बाद में एक संप्रभु क्रेडिट रेटिंग में परिवर्तन दिखाता है। यह देखा जा सकता है कि भारत के संप्रभु क्रेडिट रेटिंग में परिवर्तन के वर्षों के दौरान, मैक्रोइकॉनॉमिक संकेतकों का औसत प्रदर्शन पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर था। संप्रभु क्रेडिट रेटिंग में बदलाव के बाद मैक्रोइकोनॉमिक इंडिकेटर्स का औसत प्रदर्शन अगले वर्ष सुधरा या समान था।

वार्षिक मैक्रोइकोनॉमिक इंडिकेटर्स और भारत की संप्रभु क्रेडिट रेटिंग में बदलाव (1998-2018) में औसत बदलाव

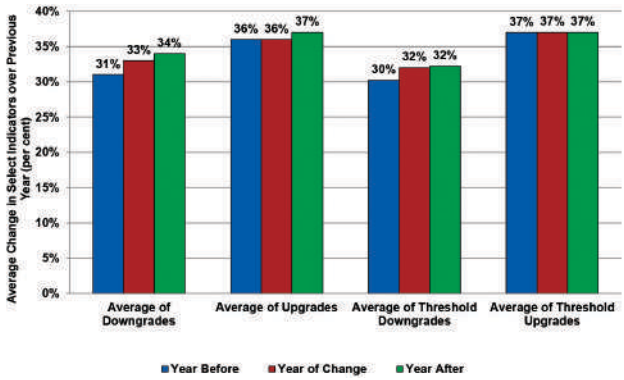

स्रोत: आरबीआई, एमओएसपीआई, आईएमएफ और सर्वे गणना

नीतिगत निहितार्थ (Policy Implications)

- सर्वेक्षण में सवाल किया गया कि क्या भारत की संप्रभु क्रेडिट रेटिंग अपने मूलतत्त्वों को दर्शाती है, और कम-से-कम दो दशकों की अवधि में भारत के मूलतत्त्वों के कम आकलन के इसकी कम रेटिंग में परिलक्षित होने के प्रमाण मिले हैं। इसीलिये, भारत की राजकोषीय नीति को भारत के मूलतत्त्वों के इस तरह के शोरयुक्त/पक्षपाती मूल्यांकन के प्रति ध्यान नहीं रखना चाहिये और इसके बजाय गुरुदेव रबींद्रनाथ ठाकुर की निर्भय रहने की भावना को प्रतिबिंबित करना चाहिये। दूसरे शब्दों में, भारत की राजकोषीय नीति को पक्षपाती और व्यक्तिपरक संप्रभु क्रेडिट रेटिंग द्वारा नियंत्रित किये जाने के बजाय विकास और विकास के विचारों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिये।
- जबकि संप्रभु क्रेडिट रेटिंग भारतीय अर्थव्यवस्था के मूलतत्त्वों को नहीं दर्शाती है, शोरयुक्त, अपारदर्शी और पक्षपाती क्रेडिट रेटिंग एफपीआई प्रवाह को प्रभावित करती है। अधिक पारदर्शी और कम व्यक्तिपरक बनकर अपने ऋण दायित्वों का भुगतान करने के लिये अर्थव्यवस्थाओं की क्षमता और इच्छा को प्रतिबिंबित करने के लिये संप्रभु क्रेडिट रेटिंग पद्धति में संशोधन किया जाना चाहिये। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को भविष्य में संकट को गहराने से रोकने के लिये संप्रभु क्रेडिट रेटिंग कार्यप्रणाली में निहित इस पूर्वाग्रह और व्यक्तिपरकता को रोकने के लिये एक साथ आना होगा।
- क्रेडिट रेटिंग की प्रोसाइक्लिकल प्रकृति और अर्थव्यवस्थाओं विशेष रूप से कम-रेटेड विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर इसके संभावित प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिये शीघ्रता से समाधान निकाला जाना चाहिये। भारत ने पहले ही जी 20 में क्रेडिट रेटिंग की प्रो-साइक्लिकलिटी का मुद्दा उठाया है। जवाब में, वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) अब क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड की प्रो-साइक्लिकलिटी का आकलन करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

4 असमानता और विकास : संघर्ष या अभिसरण? (Inequality and Growth : Conflict or Convergence?)

गरीबी क्रांति और अपराध को जन्म देती है।

–अरस्तू

आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 ने तर्क दिया कि नैतिक संपदा का निर्माण, भरोसे के हाथ के साथ बाजारों के अदृश्य हाथ को मिलाकर भारत को आर्थिक रूप से विकसित करने के लिये भावी परिदृश्य प्रदान करता है। इस आर्थिक मॉडल के साथ अक्सर दोहराई जाने वाली चिंता असमानता से संबंधित है। कुछ टिप्पणियाँ, विशेष रूप से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वैश्विक वित्तीय संकट को उज़ागर करती है। तथा उनका तर्क है कि असमानता कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि पूंजीवाद की एक अनिवार्य विशेषता है। इस तरह की टिप्पणियाँ, आर्थिक विकास और असमानता के बीच एक संभावित संघर्ष को उजागर करती हैं। क्या यह तथ्य कि गरीबी के पूर्ण स्तर और आर्थिक विकास की दर उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में कम हैं, इस संघर्ष को उत्पन्न कर सकते हैं? यदि ऐसा है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था इस संघर्ष से बच सकती है - कम से कम निकट भविष्य में - क्योंकि एक तरफ उच्च आर्थिक विकास की संभावनाएँ, और दूसरी तरफ गरीबी से लाखों लोगों को उबारने की महत्त्वपूर्ण गुंजाइश है? खासतौर पर कोविड-19 महामारी के बाद असमानता पर ध्यान केंद्रित करने के कारण यह सवाल प्रासंगिक हो जाता है।

इस अध्याय में, सर्वेक्षण यह जाँचता है कि क्या असमानता और विकास के भारतीय संदर्भ में संघर्ष है या अभिसरण। स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, जन्म और मृत्यु दर, प्रजनन दर, अपराध, नशीली दवाओं के उपयोग और मानसिक स्वास्थ्य सहित सामाजिक-आर्थिक संकेतकों की एक श्रृंखला के साथ असमानता और प्रति व्यक्ति आय के सहसंबंध की जाँच करके, सर्वेक्षण में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि दोनों-आर्थिक विकास-जैसा कि राज्य स्तर पर प्रति व्यक्ति आय में परिलक्षित होता है-और असमानता का सामाजिक-आर्थिक संकेतकों के साथ समान संबंध हैं। इस प्रकार, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत, भारत में आर्थिक विकास और असमानता, सामाजिक-आर्थिक संकेतकों पर उनके प्रभावों के संदर्भ में अभिसरित होती है। इसके अलावा, इस अध्याय में पता चला है कि आर्थिक विकास का असमानता की तुलना में गरीबी उन्मूलन पर अधिक प्रभाव है। इसलिये, भारत के विकास के चरण को देखते हुए, भारत को समग्र "पाई" का विस्तार करके गरीबों को निर्धनता से बाहर निकालने के लिये आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ध्यान दें कि इस नीति का केंद्र-बिंदु यह नहीं बताता है कि पुनर्वितरण के उद्देश्य महत्त्वहीन हैं लेकिन यह इंगित करती है कि पुनर्वितरण केवल विकासशील अर्थव्यवस्था में केवल तभी संभव है जब आर्थिक पाई का आकार बढ़ता है।

विकास, असमानता और सामाजिक आर्थिक परिणाम: भारत बनाम उन्नत अर्थव्यवस्था (Growth, Inequality And Socio-Economic Outcomes: India VERSUS The Advanced Economies)

- उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ यह बताती हैं कि उच्च असमानता से नकारात्मक सामाजिक-आर्थिक परिणाम निकलते हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक विकास का एक उपाय, उसका बहुत कम प्रभाव पड़ता है। यह खंड इस बात की जाँच करता है कि क्या ये निष्कर्ष भारत पर लागू होते हैं। इस प्रयोजन के लिये, चित्र 1-7 एक साथ सामाजिक-आर्थिक परिणामों के सहसंबंध के साथ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और पूरे भारतीय राज्यों में असमानता और प्रति व्यक्ति आय को दर्शाता है। प्रत्येक चित्र में, शीर्ष पैनल भारतीय राज्यों के लिये इन सहसंबंधों को प्रदर्शित करता है जबकि नीचे का पैनल उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिये समान प्रदर्शित करता है; बाईं ओर स्थित चार्ट असमानता के साथ सहसंबंध को प्रदर्शित करता है जबकि दाईं ओर का चार्ट प्रति व्यक्ति आय के सहसंबंध को प्रदर्शित करता है।
- ये आँकड़े सामाजिक-आर्थिक परिणामों की एक सीमा के भीतर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होते हैं, जो भारत और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के बीच असमानता और प्रति व्यक्ति आय के सहसंबंध में नितांत विपरीत परिणाम देते हैं। भारतीय राज्यों में, यह देखा गया है कि प्रति व्यक्ति असमानता और आय दोनों सामाजिक-आर्थिक परिणामों के साथ समान रूप से संबद्ध हैं। इन आँकड़ों में, भारतीय राज्यों में असमानता को उपभोग के गिनी गुणांक के रूप में मापा जाता है। जैसा कि इसे परिशिष्ट में अध्याय में प्रदर्शित किया गया है, परिणाम असमानता के अन्य उपायों का उपयोग करने के लिये प्रबल हैं।
- चित्र 1 में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि स्वास्थ्य परिणामों का सूचकांक भारतीय राज्यों में प्रति व्यक्ति आय और असमानता दोनों के साथ सकारात्मक रूप से संबंधित है। हालाँकि, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, असमानता स्वास्थ्य और सामाजिक परिणामों के सूचकांक के साथ नकारात्मक रूप से संबंधित है जबकि प्रति व्यक्ति आय सकारात्मक रूप से सहसंबंधित है। इस प्रकार, जबकि विकास और असमानता के बीच संघर्ष स्पष्ट रूप से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में देखा जाता है, असमानता और विकास भारतीय राज्यों के बीच स्वास्थ्य पर उनके प्रभावों में परिवर्तित होते हैं। चित्र 2-5 क्रमशः शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और अपराध के सूचकांक का उपयोग करते हुए एक ही परिणाम दिखाते हैं। यह चित्र 6 स्पष्ट है कि भारतीय राज्यों में प्रति

5 अंततोगत्वा हेल्थकेयर ने अहम् स्थान पा लिया! (Healthcare Takes Center Stage, Finally!)

"स्वास्थ्य ही वास्तविक पूंजी है न कि सोने-चांदी के टुकड़े।"
–मोहनदास के. गांधी

मौजूदा कोविड-19 महामारी ने स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र के महत्त्व और अर्थव्यवस्था के अन्य प्रमुख क्षेत्र के साथ इसके परस्पर संबधों पर जोर दिया है। चल रही महामारी ने दिखा दिया है कि कैसे एक स्वास्थ्य सेवा संकट एक आर्थिक और सामाजिक संकट में बदल गया। सबसे पहले, वर्तमान स्वास्थ्य संकट से महत्त्वपूर्ण सीख प्राप्त करने की जरूरत है, हेल्थकेयर पॉलिसी को 'साम्यता पूर्वाग्रह' के प्रति अनुग्रहित नहीं होना चाहिये, हाल ही में हुई घटना को महत्त्व देती है जो सिक्स-सिग्मा घटना का प्रतिनिधित्व करती है जो भविष्य में एक समान फैशन में नहीं दोहरा सकती है। भारत को भविष्य की महामारियों का प्रभावी ढंग से जवाब देने में सक्षम बनाने के लिये स्वास्थ्य के बुनियादी ढाँचे को चुस्त बनाना होगा। दूसरा, दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की अपनी क्षमता को देखते हुए, टेलीमेडिसिन को विशेष रूप से इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्वास्थ्य के बुनियादी ढाँचे में निवेश करके पूरी तरह से तैयार करने की आवश्यकता है। तीसरा, नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) ने असमानता को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है क्योंकि प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल के साथ-साथ संस्थागत प्रसव तक गरीबों की पहुँच में काफी वृद्धि हुई है। इसीलिये, आयुष्मान भारत के संयोजन में, NHM पर जोर देना जारी रखना चाहिये। चौथा, जीडीपी में सार्वजनिक व्यय में 1 प्रतिशत से 2.5-3 प्रतिशत की वृद्धि, जैसा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में उल्लिखित है, समग्र स्वास्थ्य व्यय में आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च को 65 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत कर सकता है। पाँचवां, क्योंकि भारत में स्वास्थ्य सेवा का एक बड़ा हिस्सा निजी क्षेत्र द्वारा प्रदान किया जाता है, पॉलिसी मेकर्स के लिये यह महत्त्वपूर्ण है कि वे ऐसी पॉलिसीयों को तैयार करें जो स्वास्थ्य सेवा में सूचना विषमता को कम करती हों, जो बाजार में विफलताएँ पैदा करती हैं और इस तरह से अनियमित निजी स्वास्थ्य सेवा कम गुणवत्ता प्रदान करती हैं। इसीलिये, सूचना उपयोगिताएँ जो सूचना विषमता को कम करने में मदद करती हैं, समग्र कल्याण को बढ़ाने में बहुत उपयोगी हो सकती हैं। यूनाइटेड किंगडम 2004 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) द्वारा प्रस्तुत गुणवत्ता और परिणाम रूपरेखा (QOF) और साथ ही विभिन्न देशों में अन्य गुणवत्ता मूल्यांकन अभ्यास इस संदर्भ में अच्छे उदाहरण प्रदान करते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र के विनियमन और पर्यवेक्षण का कार्य करने के लिये एक क्षेत्रीय नियामक को सूचना विषमता से उपजी बाजार की विफलताओं पर विचार करना होगा; WHO भी उसी के बढ़ते महत्त्व पर प्रकाश डालता है। सूचना विषमता को कम करना बीमा प्रीमियम को कम करने में भी मदद करेगा, बेहतर उत्पादों की पेशकश को सक्षम करेगा और देश में बीमा प्रवेश को बढ़ाने में मदद करेगा।

परिचय (Introduction)

- किसी राष्ट्र का स्वास्थ्य उसके नागरिकों के एक समान, किफायती और जवाबदेह स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की एक्सेस पर निर्भर करता है। स्वास्थ्य श्रम उत्पादकता और बीमारियों के आर्थिक बोझ (WHO 2004) के माध्यम से घरेलू आर्थिक विकास को सीधे प्रभावित करता है। 50 से 70 वर्ष (40 प्रतिशत की वृद्धि) से जीवन प्रत्याशा बढ़ने से आर्थिक विकास दर 1.4 प्रतिशत प्रति वर्ष बढ़ सकती है। एक देश में जीवन प्रत्याशा प्रति व्यक्ति सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय के साथ सकारात्मक रूप से सहसंबंधित है। मातृ मृत्यु दर प्रति व्यक्ति सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि के साथ नकारात्मक रूप से सहसंबंधित है।
- केंद्र और राज्य के बजट में स्वास्थ्य सेवा की प्राथमिकता में वृद्धि महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है कि स्वास्थ्य देखभाल (WHO 2010) के लिये किये गए आउट-ऑफ-पॉकेट भुगतान (OOP) के कारण नागरिकों को वित्तीय कठिनाइयों के खिलाफ कितना संरक्षण मिलता है। स्वास्थ्य के लिये OOP विपत्तिपूर्ण स्वास्थ्य व्यय के कारण गरीबी की ओर जाने वाले कमजोर समूहों के जोखिम को बढ़ाता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय के निम्न स्तर पर, यानी GDP के प्रतिशत के रूप में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय में 3 प्रतिशत से कम, कुल स्वास्थ्य व्यय के हिस्से के रूप में OOP व्यय सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि होने पर तेजी से गिरता है। उदाहरण के लिये, भारत में GDP के मौजूदा स्तरों से सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय में 3% की वृद्धि OOP व्यय को 60 प्रतिशत से कम करके वर्तमान में लगभग 30 प्रतिशत कर सकती है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय में छोटी वृद्धि OOP व्यय को काफी कम कर सकती है

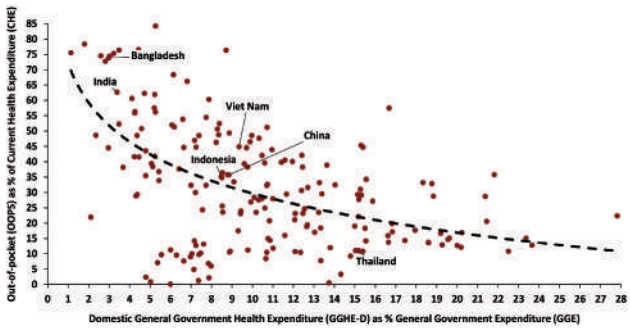

स्रोत: WHO (वैश्विक स्वास्थ्य व्यय डेटा बेस)

6 प्रक्रिया सुधार : अनिश्चितता के तहत निर्णय लेने को सक्षम करना (Process Reforms : Enabling Decision-Making Under Uncertainty)

असमानता के सभी रूपों में, स्वास्थ्य सेवा में अन्याय सबसे चौंकाने वाला और सबसे अमानवीय है।

–मार्टिन लूथर किंग जूनियर

अंतर्राष्ट्रीय तुलना से पता चलता है कि भारत की प्रशासनिक प्रक्रियाओं की समस्याएँ प्रक्रिया या विनियामक मानकों के अनुपालन की कमी से कम लेकिन अति-विनियमन से अधिक होती है। इस अध्याय में, एक कंपनी द्वारा भारत में स्वैच्छिक परिसमापन से गुजरने के लिये किये गए समय और प्रक्रियाओं के एक मामले के अध्ययन के माध्यम से अति-विनियमन के मुद्दे को चित्रित किया गया है। यहाँ तक कि जब कोई विवाद/मुकदमेबाजी नहीं होती है और सभी कागजी कार्रवाई पूरी हो जाती है, तो रिकॉर्ड से अलग होने में 1570 दिन लगते हैं। यह अन्य देशों की तुलना में इसका परिणाम अत्यधिक है।

अधूरे अनुबंधों की रूपरेखा का उपयोग करते हुए अध्याय यह तर्क प्रस्तुत करता है कि भारतीय प्रशासनिक प्रक्रियाओं में अति-विनियमन और अस्पष्टता की समस्या पूर्ण नियमों की आवश्यकता पर बल देती है जो हर संभव परिणाम के लिये जिम्मेदार हैं। यह एक ओर 'विनियमन' और 'पर्यवेक्षण' के बीच अंतर की अपर्याप्त वृद्धि के कारण है, और दूसरी ओर अपूर्ण नियमों की अनिवार्यता के कारण है। वास्तविक-विश्व नियमन निम्न संयोजन के कारण अनिवार्य रूप से अधूरा है: (i) 'अज्ञात को ज्ञात नहीं' के कारणबद्ध तर्कसंगतता, (ii) 'पूर्ण' अनुबंधों को प्रत्याशित और निर्धारित करने में शामिल जटिलता, (iii) तीसरे पक्ष के लिये निर्णयों को सत्यापित करने में आने वाली कठिनाई। यह निर्णय करने में विवेक को अनिवार्य बनाता है। यह प्रमाण दर्शाते हैं कि सामान्य विनियमन नहीं, बल्कि अति-विनियमन अवरुद्ध निर्णय क्षमता की ओर ले जाता है। समस्या यह है कि नीति निर्माताओं की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, जो पर्यवेक्षण के विपरीत आदेशक विनियमन का अधिक पक्ष लेती है। पर्यवेक्षण के विपरीत विनियमन को आसानी से मापा जा सकता है।

सरल विनियमन के साथ पारदर्शी निर्णयन प्रक्रिया ही इसका सर्वोत्तम समाधान हैं। सरकार के निर्णय निर्माता को विवेक के साथ प्रदान करने के बाद, यह तीन चीजों के साथ संतुलित करने के लिये महत्त्वपूर्ण है- बेहतर पारदर्शिता, प्रत्याशित जवाबदेही की मज़बूत प्रणाली (जैसे बैंक बोर्ड) और कार्योत्तर समाधान तंत्र। एक उदाहरण के रूप में, अध्याय बताता है कि नए सरकारी ई-मार्केटप्लस (GeM portal) ने सरकारी खरीद के मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता को कैसे बढ़ाया है। इससे न केवल खरीद की लागत में कमी आई है, बल्कि ईमानदार सरकारी अधिकारी के लिये निर्णय लेना भी आसान हो गया है।

नियामक प्रभावशीलता की समस्या (The Problem of Regulatory Effectiveness)

- यह अक्सर माना जाता है कि भारत की नियामक समस्याएँ, नियामक मानकों की कमी और प्रक्रिया के खराब अनुपालन के कारण हैं। हालाँकि, अंतर्राष्ट्रीय तुलना यह बताती है कि सही नियामक मानकों को रखने और प्रक्रिया के अनुपालन के मामले में भारत अपने समकक्षों की तुलना में बेहतर रैंक पर है। वास्तविक मुद्दा नियमों की प्रभावशीलता का है जो अनुचित देरी, मालगुजारी की मांग, जटिल नियम और विनियमन की गुणवत्ता के कारण होता है।
- विश्व न्याय परियोजना द्वारा प्रकाशित 'वर्ल्ड रूल ऑफ लॉ इंडेक्स' नियामक प्रवर्तन के विभिन्न पहलुओं पर विभिन्न देशों की तुलना करता है। सूचकांक में विभिन्न उप-श्रेणियाँ हैं, जो नियत प्रक्रियाओं, प्रभावशीलता, समयसीमा आदि के अनुपालन को सुनिश्चित करती है। 2020 में, 'उपयुक्त प्रक्रिया का प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सम्मान किया जाता है' की श्रेणी में भारत की रैंक 128 देशों में 45 है। इसके विपरीत, 'सरकारी नियम प्रभावी रूप से लागू किये जाते हैं' (नियामक गुणवत्ता/प्रभावशीलता के लिये प्रॉक्सी) श्रेणी में देश की रैंक 104 है। प्रशासनिक कार्यवाही अनुचित विलंब के बिना आयोजित की जाती है (समयबद्धता के लिये प्रॉक्सी) में भारत 89वीं रैंक पर है और प्रशासनिक कार्यवाही लागू होती है और अनुचित प्रभाव के बिना लागू होते हैं' (किराए की मांग के लिये प्रॉक्सी) में 107वाँ स्थान है। इससे पता चलता है कि लोकप्रिय धारणा के विपरीत, भारत प्रक्रियाओं के अनुपालन में अपेक्षाकृत अच्छा है, लेकिन नियामक प्रभावशीलता में पिछड़ जाता है।
- वास्तव में, प्रशासनिक कार्यवाही में उचित प्रक्रिया के अनुपालन में भारत के प्रदर्शन में महत्त्वपूर्ण सुधार हुआ है, 2015 में 72वीं रैंक (102 देशों में से) से 2020 में 45वीं रैंक (128 देशों में से) का सुधार हुआ है। इसके विपरीत, यह अन्य मापदंडों पर समय के साथ कमी हुई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि नियम और प्रक्रिया को लागू करना एक बात है, जबकि उनकी प्रभावशीलता दूसरी बात है।

विनियामक प्रवर्तन की विभिन्न श्रेणियों में भारत की रैंक

	2015	2020
विनियामक प्रवर्तन समग्र रैंक	69	74
सरकारी नियमों को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है	87	104

7 विनियामक रियायतें : एक आपातकालीन औषधि न कि मुख्य आहार!

(Regulatory Forbearance : An Emergency Medicine, Not Staple Diet!)

"जो लोग अतीत से सबक नहीं लेते, वो इसे दोहराने का अपराध करते हैं" *-जॉर्ज संतायाना, स्पेनिश दार्शनिक*

बैंक ऋणों पर वर्तमान विनियामक रियायतें (फॉरबीयरेंस) कोविड महामारी के कारण ज़रूरी हो गई हैं। यह अध्याय वर्तमान समय के लिये महत्त्वपूर्ण सबक निकालने के लिये 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट (जी. एफ.सी.) के बाद अपनाई गई विनियामक रियायत की नीति का अध्ययन करता है। बैंकों के लिये विनियामक रियायतें जिसमें पुनर्गठित परिसंपत्तियों के लिये मानदंडों को शिथिल करना शामिल था, जहाँ पुनर्गठित परिसंपत्तियों को अब गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता नहीं थी तथा इसीलिये एनपीए को आकर्षित करने वाले स्तरीय प्रावधानों की आवश्यकता नहीं रह गई थी। संकट के दौरान, कर्जदारों को संकट से होने वाले अस्थाई कठिनाईयों से पार जाने में रियायतों ने सहायता की तथा एक बड़े संक्रमण के प्रवाह में आने से बचाया। हालाँकि, रियायतों को सात वर्षों तक जारी रखा गया, जबकि इन्हें 2011 में बंद हो जाना चाहिये था, जब ऋण विकास, जीडीपी, निर्यात, आईआईपी सभी इससे उभर चुके थे। फिर भी रियायत आर्थिक वसूली के बाद लम्बे समय तक जारी रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि बैंकों, फर्मों और अर्थव्यवस्था के लिये यह अनपेक्षित और हानिकारक साबित हुआ। आवश्यक रियायती प्रावधान को ध्यान में रखते हुए बैंकों ने ऋण लेने की बाध्यता को अनुचित संस्थाओं के लिये भी पुनर्गठित करने के लिये गलत तरीके से इस्तेमाल किया जिससे रियायतों ने उनकी गलतियों को भुनाने का काम किया। बढ़े हुए मुनाफे का इस्तेमाल बैंकों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के मामले में सरकार सहित शेयरधाराकों को बढ़े हुए लाभांश का भुगतान करने के लिये किया गया था। इसका नतीजा यह हुआ कि बैंक आर्थिक रूप से बुरी तरह कमज़ोर हो गए। इस प्रकार कम पूंजी बैंकों को बंद होने के कगार पर ले आई। प्रोत्साहन को विकृत कर दिया और जोखिमपूर्ण उधार देने की प्रथाओं को बढ़ावा दिया, इसमें ऐसी संस्थाओं/लोगों को उधार देना भी शामिल था जो अस्तित्व में भी नहीं थे। विकृत प्रोत्साहन के परिणामस्वरूप, बैंकों ने ऋण को गलत तरीके से भुनाया, जिससे अर्थव्यवस्था में निवेश की गुणवत्ता को नुकसान पहुँचा। बैंकों की इस उदारता से लाभान्वित फर्मों ने भी असंभव परियोजनाओं में निवेश किया। आकस्मिक आपूर्ति और शिथिल निगरानी की इस पद्धति में ऋण प्राप्त करने के लिये उधार लेने वाली फर्म के प्रबंधन की क्षमता ने फर्म के भीतर अपने प्रभाव को मजबूत किया, जिससे फर्मों की शासन प्रक्रिया में स्थिरता आई। फर्मों के बोर्डों की गुणवत्ता गिर गई। इसके बाद, संसाधनों की हेराफेरी बढ़ गई और फर्मों का निष्पादन बिगड़ गया। जब 2015 में रियायतें समाप्त हो गई, तब तक पुनर्संरचना सात गुना तक बढ़ चुकी थी और अनर्जक आस्तियाँ पूर्व रियायतों की तुलना में लगभग दो गुना हो चुकी थी। इस बात की चिंता करते हुए कि बैंकों की वास्तविक स्थिति उनके बही खाते में परिलक्षित स्थिति से भी बदतर हो सकती है, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बही खातों को सही करने के लिये एसैट क्वालिटी रिव्यू (AQR) को आरंभ किया। 2014-15 में जब सकल एनपीए 4.3 से बढ़कर 2015-16 में 7.5 प्रतिशत हो गया था और 2017-18 में 11.2% पर था तब, AQR बैंकों के बही खातों में प्रच्छन्न खराब आस्तियों को सामने लाने में विफल रहा और पूंजीगत आवश्यकताओं का आकलन कमतर हुआ। एक्यूआर डिजाईन के साथ जुड़ाव के माध्यम से बैंकों द्वारा पूंजी जुटाने के लिये आवश्यक नहीं समझे गए, जिससे बैंकों का पूंजीकरण तेजी से बढ़ा। इसने ऋण देने की विकृतियों के एक दूसरे दौर को जन्म दिया, जिससे पहले से भी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई। वैश्विक वित्तीय संकट के बाद लंबे समय से चली आ रही रियायती नीतियों के कारण हाल ही में बैंकिंग संकट बढ़ा है और इससे निवेश की दरों में कमी आई है और देश में आर्थिक विकास में भी कमी आई है। नीति निर्माताओं के लिये पहला सबक आपातकालीन उपायों का सही तरीके से उपचार करना है और ठीक होने के बाद भी उनका विस्तार नहीं करना है: जब कोई आपातकालीन औषधि एक मुख्य आहार बन जाती है, तो इसका विपरीत प्रभाव हो सकता है। दूसरा, जबकि पिछली घटना से मिली सीख को पुनरावृति से बचने के लिये नियोजित किया जाना चाहिये।

परिचय (Introduction)

कोविड महामारी द्वारा उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने के लिये, दुनिया भर के वित्तीय नियामकों ने विनियामक रियायतों को अपनाया है। भारत कोई अपवाद नहीं है। वास्तविक क्षेत्र की वित्तीय क्षेत्र में विफलताओं को रोकने के लिये आपातकालीन उपायों जैसी रियायतें (रियायत) जिससे संकट को अधिक गहरा होने से बचाया जा सकता है। इसीलिये आपातकालीन चिकित्सा के रूप में, नीति निर्माताओं के साधन में रियायतें एक वैध स्थान रखती है। हालाँकि, इसमें सावधानी बरती जानी चाहिये ताकि आपातकालीन औषधि एक मुख्य आहार न बन जाए, क्योंकि उधारकर्त्ता और बैंक आसानी से ऐसे पीड़ाहर (पैलीवेटिव) के आदी हो जाते हैं। जब आपातकालीन औषधि एक मुख्य आहार बन जाती है तो नकारात्मक दुष्प्रभाव न केवल बड़े हो सकते हैं बल्कि एक लंबी अवधि तक भी रह सकते हैं। इसीलिये भावी नीति के मार्गदर्शन के लिये पिछली रियायत धाराओं के क्रियान्वयन के निहितार्थों की सावधानीपूर्वक जाँच करना और समझना प्रासांगिक है। 2008 में, वैश्विक वित्तीय संकट का अनुमान लगाते हुए आरबीआई ने विनियामक रियायतों की नीति प्रस्तुत की। इसने दबाबग्रस्त आस्तियों के पुनर्गठन के मानदंडों को शिथिल किया-आस्तियों को गैर-निष्पादित स्थिति में डाउन ग्रेड करना अब अनिवार्य नहीं था और इसके लिये अतिरिक्त प्रावधान की आवश्कता नहीं थी। यह अध्याय मौजूदा

8 नवाचार : नवाचार को अधिक प्रोत्साहन देने की आवश्यकता, विशेषकर निजी क्षेत्र से (Innovation: Trending Up But Needs Thrust, Especially From the Private Sector)

यदि किसी को कोई अवसर मिले तो उस व्यक्ति को इसका लाभ लेने के सभी प्रयास करते रहने चाहिये। (लेकिन किसी अवसर से चूकना नहीं चाहिये) *–तिरुकुरल, अध्याय 49, श्लोक 489।*

2007 में वैश्विक नवाचार सूचकांक (जीआईआई) की स्थापना के बाद 2020 में भारत पहली बार अपने स्थान में सुधार करते हुए शीर्षस्थ 50 नवोन्मेषी देशों में शामिल हो गया है। 2015 में भारत का स्थान 81वाँ था, जिसमे 2020 में सुधार करते हुए वह 48वें स्थान पर पहुँच गया है। आगे की प्रगति के लिये मार्ग निर्धारित करते हुए इस महत्त्वपूर्ण उपलब्धि को बढ़ाने के लिये, सर्वेक्षण विभिन्न आयामों पर भारत के नवाचार निष्पादन की जाँच करता है।

भारत मध्य और दक्षिण एशिया में पहले स्थान पर है और निम्न मध्यम आय वर्ग की अर्थव्यवस्थाओं में तीसरे स्थान पर है। जीआईआई के सात स्तंभों में, भारत ज्ञान और प्रौद्योगिकी निर्गत में 27वें स्थान पर है; बाज़ार परिष्करण में 31वाँ; व्यापार के परिष्करण में 55वें; मानव पूंजी और अनुसंधान (एचसीआर) में 60वाँ; संस्थानों में 61वें; रचनात्मक निर्गत में 64वें; और आधारभूत संरचना में 75वें स्थान पर है। उप-स्तंभों में, भारत ज्ञान प्रसार में दसवें और व्यापार, वाणिज्य और बाज़ार पैमाने पर 15 वें स्थान पर है। मापदंडों के बीच, भारत सूचना व संचार तकनीकी (आईसीटी) सेवाओं के निर्यात में पहले स्थान पर है; घरेलू बाज़ार पैमाने (पीपीपी) में तीसरे; सरकार की ऑनलाइन सेवाओं में नौवें स्थान पर; उत्पादकता की वृद्धि दर में नौवें स्थान पर; विज्ञान और इंजीनियरिंग स्नातकों में 12वें; अल्पसंख्यक निवेशकों की सुरक्षा में आसानी के मापदंड पर 13वें; ई-भागीदारी में 15वें; शीर्ष तीन वैश्विक अनुसंधान व विकास (आरएंडडी) कंपनियों के औसत व्यय में 16वें; और बाज़ार पूंजीकरण में 19 वें स्थान पर है।

नवाचार निर्गत पर भारत की रैंकिंग 2015 में 69 से सुधार के साथ 2020 में 45 हो गई। ज्ञान व प्रौद्योगिकी पर इसकी रैंकिंग 2015 में 49 से लगभग आधी घटकर 2020 में 27 हो गई, जबकि रचनात्मक निर्गत पर रैंकिंग 2015 में 95 से बढ़कर 2020 में 64 हो गई। भारत का नवाचार आगत उप-सूचकांक 2015 में 100 से बढ़कर रैंकिंग 2020 में 57 हो गई। यह सुधार व्यापार के परिष्करण के कारण हुआ, जहाँ 2015 में रैंकिंग 116 से सुधरकर 2020 में 55 पर आ गई। भारत के संस्थानों की रैंकिंग 2015 में 104 से सुधरकर 2020 में 61 हो गई। मानव पूंजी व अनुसंधान पर इसकी रैंकिंग में सुधार हुआ जो 2015 में 103 से सुधरकर 2020 में 60 तक हो गई। बाज़ार परिष्करण पर इसकी रैंकिंग 2015 में 72 से 31वें स्थान तक सुधरी। 2020 में भारत की अवसंरचना की रैंकिंग 87 से सुधरकर 2020 में 75वें स्थान पर आ गई।

जीआईआई उन क्षेत्रों पर भी प्रकाश डालता है जिनमें सुधार की गुंजाइश है। शिक्षा के उपस्तंभ पर भारत की रैंक 107; माध्यमिक शिक्षा में छात्र-शिक्षक अनुपात पर 118वीं, 15 से 64 आयु वर्ग में प्रति एक हजार जनसंख्या के नए व्यवसाय पर 115वीं; तृतीयक आवक गतिशीलता पर 108वीं; आईसीटी के उपयोग के साथ-साथ आईसीटी तक पहुँच पर 108वीं; व्यापार शुरू करने में आसानी पर 105वीं तथा एडवांस डिग्री वाली महिला कामगार पर 101वीं रैंक के साथ क्षेत्रों में सुधार की गुंजाइश को रेखांकित करता है। इसके साथ-साथ पाँचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की आकांक्षा नवोन्मेष के साथ उच्च शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में पहुँचने की है।

भारत का व्यापार क्षेत्र शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं (औसतन 68 प्रतिशत) में व्यवसायों की तुलना में अनुसंधान व विकास (लगभग 37 प्रतिशत) पर सकल व्यय में बहुत कम योगदान देता है। जबकि शीर्ष दस अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत ने अनुसंधान और विकास के लिये कर प्रोत्साहन की अधिक उदार नीति अपनाई है। सरकार सकल व्यय का 56 प्रतिशत योगदान करके आरएंडडी पर भारी-भरकम राशि का वितरण करती है, जो शीर्ष दस अर्थव्यवस्थाओं में सरकारों द्वारा औसत योगदान का तीन गुना है। फिर भी, भारत का आरएंडडी पर कुल व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 0.65 प्रतिशत है जो सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं (सकल घरेलू उत्पाद का 1.5-3 प्रतिशत) की तुलना में बहुत कम है, क्योंकि यह मुख्य रूप से व्यापार के क्षेत्र से कम योगदान है। भारतीय निवासी शीर्ष दस अर्थव्यवस्थाओं में औसतन 62 प्रतिशत की तुलना में भारत में दायर किये गए केवल 36 प्रतिशत पेटेंट का योगदान करते हैं। भारतीय कंपनियाँ इक्विटी वित्त की सुविधा के बावजूद नवाचार पर उम्मीद से नीचे प्रदर्शन करती हैं, जबकि किसी भी कंपनी के वृद्धि के लिये नवाचार सबसे महत्त्वपूर्ण है।

यदि भारत को सकल घरेलू उत्पाद के वर्तमान यूएस डॉलर में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने की अपनी आकांक्षा को पूरा करना है तो उसे अनुसंधान और विकास में निवेश में पर्याप्त वृद्धि करनी चाहिये। "जुगाड़ नवाचार" पर निर्भरता से हम भविष्य में कुछ भी नया करने का महत्त्वपूर्ण अवसर खो सकते है। इसके लिये व्यावसायिक क्षेत्र द्वारा अनुसंधान एवं विकास पर एक जोर देने की आवश्यकता है। भारत की निवासी फर्मों को कुल पेटेंट में अपना हिस्सा बढ़ाकर उस स्थिति के स्तर तक ले जाना चाहिये, जो कि वर्तमान यूएस डॉलर में पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत को नवाचार निर्गत पर अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिये संस्थानों और व्यावसायिक परिष्कार को मजबूत करने पर भी ध्यान देना चाहिये।

जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में "जमीनी स्तर पर उद्यमिता और धन सृजन" नामक अध्याय की चर्चा की गई थी, नए फर्म सृजन साक्षरता, शिक्षा, भौतिक अवसंरचना और कार्य को सुगम बनाने वाली नीतियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर नए फर्म निर्माण और उद्यमिता के चालकों के रूप में इसमें दिये गए सबक इस विश्लेषण में प्रासंगिक बने हुए हैं।

9 जय हो : आयुष्मान भारत-जन आरोग्य योजना और स्वास्थ्य परिणाम [JAY Ho : Ayushman Bharat's Jan Arogya Yojana (JAY) and Health Outcomes]

असमानता के सभी रूपों में, स्वास्थ्य सेवा में अन्याय सबसे चौंकाने वाला और सबसे अमानवीय है। *–मार्टिन लूथर किंग जूनियर*

यह अध्याय प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) जो भारत सरकार द्वारा 2018 में सबसे कमजोर वर्गों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिये शुरू किया गया महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम है, के स्वास्थ्य संबंधी परिणामों पर मजबूत सकारात्मक प्रभावों को प्रदर्शित करता है। उच्च आवृत्ति, डायलिसिस जैसी कम लागत देखभाल और कोविड महामारी तथा लॉकडाउन के दौरान भी बिना किसी व्यवधान के उपयोग जारी रखने के लिये PM-JAY का काफी उपयोग किया जा रहा है। सामान्य चिकित्सा - आधे से अधिक दावों के लिये अत्यधिक प्रमुख नैदानिक ने लॉकडाउन के दौरान गिरावट के बाद V-आकार की रिकवरी का प्रदर्शन किया और दिसंबर 2020 में पूर्व-कोविड-19 स्तरों तक पहुँच गया। अंतिम, लेकिन अध्याय सबसे महत्त्वपूर्ण-विश्लेषण करके स्वास्थ्य परिणामों पर PM-JAY के कारण प्रभाव का अनुमान लगाने का प्रयास करता है। जैसा कि PM-JAY मार्च 2018 में लागू किया गया था, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 (2015-16 में) और 5 (2019-20 में) द्वारा मापा गया स्वास्थ्य संकेतक इस प्रभाव का आकलन करने के लिये पहले व बाद के आँकड़े प्रदान करते हैं। विभिन्न भ्रामक कारकों के प्रभाव को कम करने के लिये हम उन राज्यों की तुलना करके अनुमान लगाते हैं जिन्होंने PM-JAY को लागू किया था और दूसरे जिन्होंने लागू नहीं किया था। हम इस विश्लेषण को दो भागों में करते हैं। सबसे पहले, हम पश्चिम बंगाल का उपयोग उस राज्य के रूप में करते हैं जिसने PM-JAY को लागू नहीं किया और फिर उसकी तुलना उन पड़ोसी राज्यों (बिहार, सिक्किम और असम) से करते हैं, जिन्होंने PM-JAY को लागू किया। दूसरा, हम यही विश्लेषण उन सभी राज्यों के लिये, जिन्होंने योजना को लागू नहीं किया है, इसे लागू करने वाले राज्यों के संदर्भ में दोहराते हैं।

PM-JAY ने स्वास्थ्य बीमा कवरेज बढ़ाया है। इसी प्रकार, सभी राज्यों में, उन राज्यों के लिये स्वास्थ्य बीमा वाले परिवारों के अनुपात में 54% की वृद्धि हुई, जो उन राज्यों में 10% की गिरावट के साथ PM-JAY को लागू करने वाले राज्यों में नहीं थे। बिहार, असम और सिक्किम में स्वास्थ्य बीमा कराने वाले परिवारों का अनुपात 2015-16 से 2019-20 तक 89% बढ़ गया, जबकि पश्चिम बंगाल में इसी अवधि में यह 12% तक कम हो गया। 2015-16 से 2019-20 तक, PM-JAY को लागू नहीं करने वाले राज्यों में शिशु मृत्यु दर में 12% और PM-JAY लागू करने वाले राज्यों में 20% की गिरावट आई। इसी तरह, PM-JAY लागू नहीं करने वाले राज्यों ने अपने अंडर-5 (5 वर्ष से कम आयु के बच्चे) मृत्यु दर में 14% की गिरावट देखी जबकि PM-JAY लागू करने वाले राज्यों ने 19% की कमी देखी। PM-JAY लागू करने वाले राज्यों ने लगातार बच्चों के बीच अंतर की आवश्यकता की अपूर्णता में 15% गिरावट देखी जबकि PM-JAY लागू करने वाले राज्यों में पड़ोसी तीन राज्यों में 31% गिरावट दर्ज की गई। PM-JAY लागू करने वाले राज्य में, लागू नहीं करने वाले राज्यों की तुलना में माँ और बच्चे की देखभाल के लिये विभिन्न पैमानों पर सुधार हुआ है। कुल मिलाकर, तुलना उन राज्यों में कई स्वास्थ्य परिणामों में महत्त्वपूर्ण सुधार को दर्शाती है जिन्होंने PM-JAY लागू किया था बनाम जिन्होंने नहीं किया था।

परिचय (Introduction)

- मुक्त बाज़ार प्रावधान के तहत सार्वजनिक वस्तुओं के रूप में सरकार की एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अपने नागरिकों, विशेष रूप से समाज के कमज़ोर वर्गों को सार्वजनिक सामान प्रदान करना है। जबकि अमीर निजी विकल्पों की तलाश कर सकते हैं, बेहतर सेवाएँ जुटा सकते हैं या यदि आवश्यक हो, तो उन क्षेत्रों में जा सकते हैं जहाँ सार्वजनिक सामान बेहतर प्रदान किए जाते हैं। गरीबों के पास शायद ही इस तरह के विकल्प हैं। इस प्रकार, सार्वजनिक वस्तुओं का प्रावधान विशेष रूप से एक समाज में कमजोर वर्गों के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। फिर भी, सरकारें लोकतंत्र में "क्षितिज की समस्या" से पीड़ित हो सकती हैं, जहाँ समय क्षितिज, जिस पर सार्वजनिक वस्तुओं के लाभ मतदाताओं तक पहुँचते हैं, चुनावी चक्रों से अधिक लंबा हो सकता है। क्षितिज की समस्या से उत्पन्न मायोपिया (दूर की चीजों को स्पष्ट रूप से देखने में परेशानी) फिर से सार्वजनिक वस्तुओं के कम प्रावधान का कारण बन सकता है। इसलिये, सार्वजनिक वस्तुओं का प्रावधान जो अर्थव्यवस्था और समाज के लिये दीर्घकालिक लाभ उत्पन्न करता है, एक लोकतांत्रिक राजनीति में शासन के प्रमुख पहलू का प्रतिनिधित्व करता है।
- जैसा कि स्वास्थ्य देखभाल एक महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक कल्याण का प्रतिनिधित्व करता है, क्रमिक सरकारों ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) प्राप्त करने के लिये प्रतिबद्धता व्यक्त की है। हालाँकि, 2018 तक UHC एक मायावी सपना बना रहा। 2018 में भारत सरकार ने देश में सबसे कमजोर वर्गों तक स्वास्थ्य सेवा पहुँच प्रदान करने के लिये एक ऐतिहासिक कदम के रूप में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PM-JAY) को मंजूरी दी। लाभार्थियों में 10.74 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों के लगभग 50 करोड़ व्यक्ति शामिल थे, जो भारतीय आबादी के निचले 40% हिस्से को बनाते हैं। परिवारों को क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिये सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011 (SECC 2011) से वंचित और व्यावसायिक मानदंडों के आधार पर शामिल किया गया था। यह योजना फेमिली फ्लोटर के आधार पर प्रति वर्ष प्रति परिवार ₹5 लाख तक की स्वास्थ्य सेवा प्रदान

10 ज़रूरी आवश्यकताएँ (The Bare Necessities)

ज़रूरी आवश्यकताओं को ढूँढो,
सरल ज़रूरी आवश्यकताओं को,
अपनी चिंताओं और अपने झगड़ों को भूल जाओ,
मेरा मतलब है आवश्यकताओं को ढूँढो!

—द जंगल बुक

एक सभ्य जीवन जीने के लिये आवास, जल, स्वच्छता, बिजली और खाना पकाने के लिये स्वच्छ ईंधन जैसे "ज़रूरी आवश्यकताओं" तक पहुँच ज़रूरी है। इस प्रकरण में ग्रामीण, शहरी और अखिल भारतीय स्तर पर एक ज़रूरी आवश्यकता सूचकांक (बीएनआई) का निर्माण करके "ज़रूरी आवश्यकताओं" तक पहुँच प्रदान करने में हुई प्रगति की खोज-बीन की गई है। बीएनआई पाँच संकेतकों अर्थात जल, स्वच्छता, आवास, सूक्ष्म पर्यावरण और अन्य सुविधाओं पर 26 संकेतक प्रस्तुत करता है। बीएनआई को सभी राज्यों के लिये 2012 और 2018 के लिये दो NSO राउंड अर्थात, 69वें और 76वें डेटा, पेयजल, स्वच्छता और आवास स्थिति पर बनाया गया है।

2012 की तुलना में, 2018 में देश में सभी राज्यों में "ज़रूरी आवश्यकताओं" तक पहुँच में सुधार हुआ है। पाँच आयामों में से प्रत्येक में जल, आवास, स्वच्छता, सूक्ष्म पर्यावरण और अन्य सुविधाओं तक पहुँच के रूप में सुधार व्यापक हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 2012 की तुलना में 2018 में ''ज़रूरी आवश्यकताओं'' की पहुँच में अंतर-राज्य असमानताएँ घट गई हैं। ऐसा इसीलिये है क्योंकि जिन राज्यों में "ज़रूरी आवश्यकताओं" की पहुँच का स्तर 2012 में कम था, वे 2012 और 2018 के बीच अपेक्षाकृत अधिक हो गए हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सबसे अमीर घरों की तुलना में सबसे गरीब घरों में "ज़रूरी आवश्यकताओं" तक पहुँच में सुधार हुआ है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आँकड़ों का उपयोग करते हुए, हम 2012 और 2018 में क्रमशः 2015-16 और 2019-20 में शिशु मृत्यु दर तथा 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिशु मृत्यु दर के साथ बीएनआई का संबंध जोड़ सकते हैं और पाते हैं कि "ज़रूरी आवश्यकताओं" के लिये बेहतर पहुँच से स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार हुआ हैं। इसी प्रकार, हम यह भी पाते हैं कि "न्यूनतम आवश्यकताओं" तक बेहतर पहुँच का शिक्षा के संकेतकों में भविष्य में सुधार के साथ संबद्ध है।

परिचय (Introduction)

- 1950 के दशक के बाद से जब श्री. पीताम्बर पंत ने "न्यूनतम ज़रूरतों" के विचार की वकालत की और इस विचार का प्रसार किया कि आर्थिक विकास को भारत के नागरिकों के "जीवन की ज़रूरी आवश्यकताएँ" प्रदान करने की प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। एक परिवार की ज़रूरी आवश्यकताओं तक पहुँचने की क्षमता - जैसे कि आवास, जल, स्वच्छता, बिजली और रसोई बनाने के स्वच्छ ईंधन को अकादमिक और नीति निर्धारण मंडलों में आर्थिक विकास का एक महत्त्वपूर्ण बैरोमीटर माना जाता है। जीवन की ज़रूरी आवश्यकताओं तक पहुँच का यह विचार आम आदमी के साथ भी गूँजता रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि बॉलीवुड की आलंकारिक वाकपटुता, जो अक्सर देश में सामाजिक-आर्थिक मुद्दों को उजागर करती है (देसाई, 2004), रोटी, कपड़ा और मकान (1974) जैसी फिल्मों में "ज़रूरी आवश्यकताओं" पर प्रकाश डाला गया है। रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक में "द बेअर नेसेसिटी" गीत इसके महत्त्व को भी दर्शाता है। सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) सभी के लिये "न्यूनतम आवश्यकताओं" को प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं: लक्ष्य 6 सभी को स्वच्छ जल और स्वच्छता तक पहुँच पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि लक्ष्य 7 का उद्देश्य बिजली और स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन के लिये सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना है। द इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 ने "थालिनोमिक्स: द इकोनॉमिक्स ऑफ ए प्लेट ऑफ फूड इन इंडिया" के विचार के माध्यम से भोजन तक पहुँच की जाँच की।
- आवास, जल, स्वच्छता, बिजली और खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन की "ज़रूरी आवश्यकताएँ" संयुक्त रूप से घर के सभी सदस्यों द्वारा खपत की जाती हैं। इसीलिये, वे घर के प्रत्येक सदस्य के जीवन को छूते हैं। जैसा कि ये टिकाऊ संपत्ति हैं, वे लंबे समय तक घर पर सेवाएँ देते हैं। स्वच्छ पेयजल तक पहुँच, सुरक्षित स्वच्छता और स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन का भी घर में सदस्यों के स्वास्थ्य से सीधा संबंध है। इन तक पहुँच एक घर के लिये समय बचाता है, जिसका उपयोग वे शिक्षा और सीखने जैसी उत्पादक गतिविधियों में कर सकते हैं।
- "ज़रूरी आवश्यकताओं" तक पहुँच में सुधार करने के लिये, सरकारों ने लगातार प्रयास किए हैं। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये बनाई गई योजनाओं के नेटवर्क में स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम), राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), सौभाग्य और उज्ज्वला योजना शामिल हैं। ये योजनाएँ नई सुविधाओं में प्रौद्योगिकी का उपयोग, वास्तविक समय की निगरानी, परिसंपत्तियों के जियोटैगिंग, सोशल ऑडिट, सूचना का एम्बेडेड डिजिटल प्रवाह और जहाँ भी संभव हो, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से सुसज्जित थीं।

2012 से 2018 तक ग्रामीण भारत में ज़रूरी आवश्यकताओं में सुधार ग्रामीण भारत के लिये बीएनआई 2012

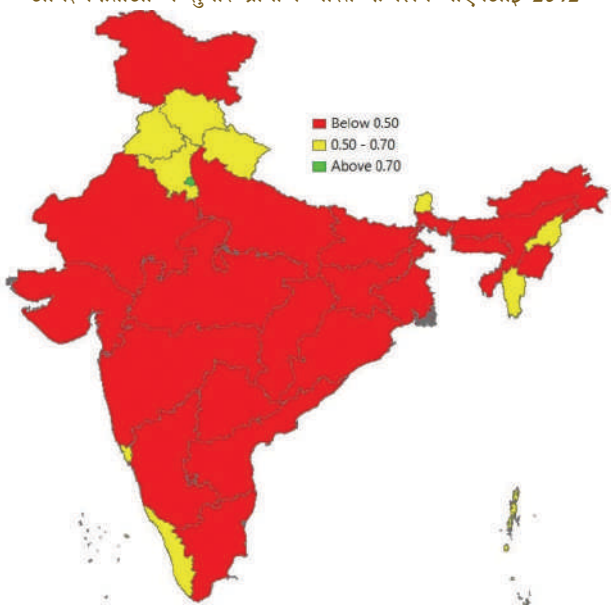

ग्रामीण भारत के लिये बीएनआई 2018

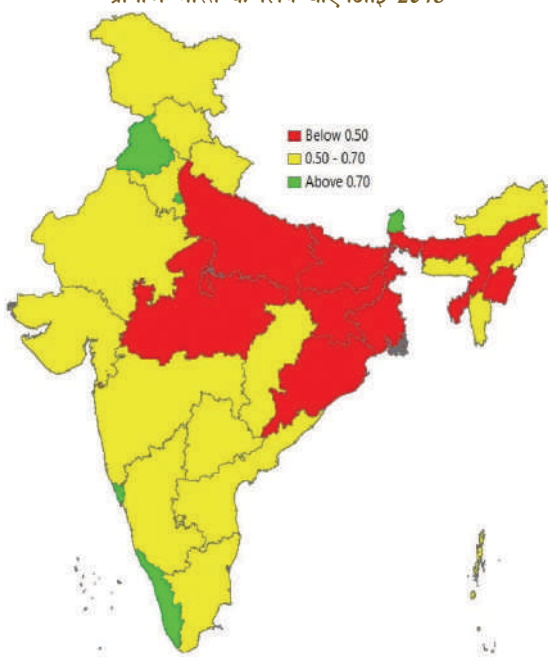

2012 से 2018 तक पूरे शहरी भारत में ज़रूरी आवश्यकताओं में सुधार शहरी भारत के लिये बीएनआई 2012

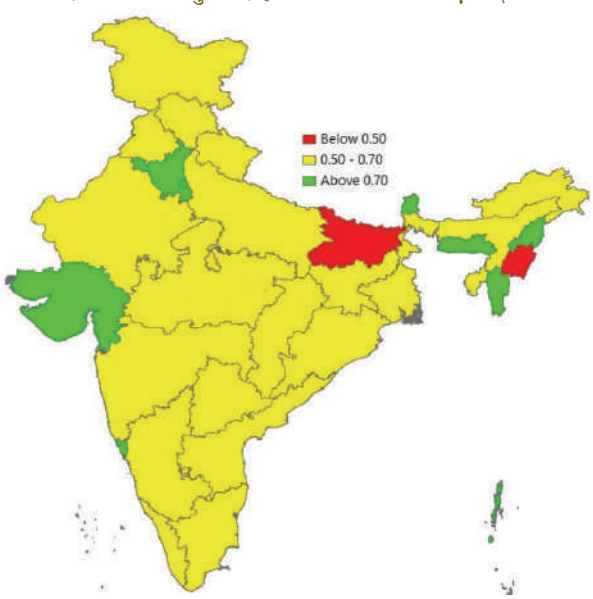

शहरी भारत के लिये बीएनआई 2018

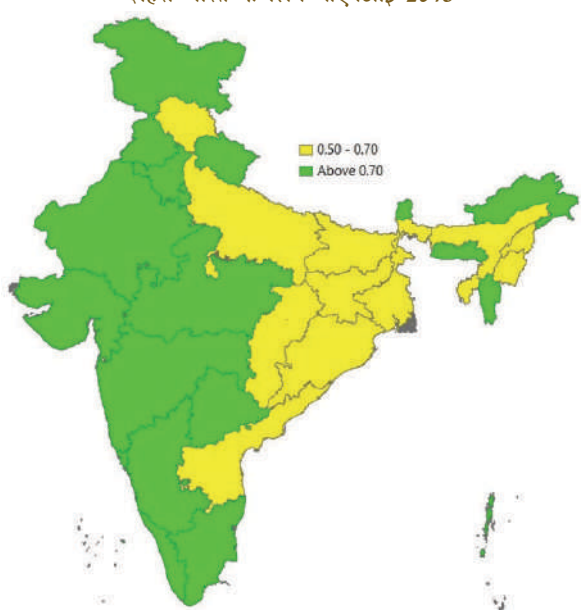

स्रोत: सर्वेक्षण गणनाएँ

- नीचे दिए गए चित्र में 2012 और 2018 में चयनित राज्य 2 के लिये बीएनआई के स्तर बताता है। लाल 45 डिग्री लाइन 2012 और 2018 के बीच कोई बदलाव नहीं के बेंचमार्क का प्रतिनिधित्व करती है जिसके साथ हम प्रत्येक राज्य की तुलना कर सकते हैं। लाल रेखा के ऊपर स्थित एक स्थिति में सुधार दिखाई देता है जबकि लाल 45° रेखा के नीचे वाला एक स्तर 2012 में अपने स्तर से 2018 में गिरावट दिखाता है। लाल रेखा से ऊर्ध्वाधर दूरी एक राज्य के लिये परिवर्तन की सीमा को इंगित करती है। एक राज्य लाल रेखा के ऊपर स्थित है, इसका आशय है कि राज्य उच्चतर लाभ में है जैसा कि संयुक्त भारत सूचकांक में परिलक्षित होता है, केरल, पंजाब, हरियाणा और गुजरात जैसे राज्यों में ज़रूरी आवश्यकताओं की पहुँच अधिक है, जबकि ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में सबसे कम है। चूँकि सभी राज्य 45° लाल रेखा से ऊपर हैं, इससे यह स्पष्ट है कि 2012 की तुलना में 2018 में ज़रूरी आवश्यकताओं की पहुँच में सुधार हुआ है। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार काफी अधिक है। हालाँकि, राज्यों और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ज़रूरी आवश्यकताओं की पहुँच में भिन्नता बड़ी रही है।

1 2020-21 अर्थव्यवस्था की स्थिति : एक वृहद दृष्टिकोण
(State of the Economy 2020-21 : A Macro View)

"सही समय पर सही काम करना ऐसी आदत है जिससे व्यक्ति जीवन में असीमित सफलता प्राप्त कर सकता है।"

-तिरुक्कुरल

कोविड-19 ने वर्ष 2020 में दुनिया को अव्यवस्थित करके और सभी के लिये भय का माहौल सृजित करके उनके आवागमन, सुरक्षा और सामान्य जीवन को प्रभावित किया। इसने, भारत और दुनिया के लिये सदी की सबसे विकट आर्थिक चुनौती पेश की। महामारी को रोकने के लिये लगाए गए आवश्यक लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। भारत सहित दुनिया भर की सरकारों और केंद्रीय बैंकों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को समृद्ध करने के लिये नीतिगत उपकरणों की एक शृंखला तैनात की, जैसे कि प्रमुख नीतिगत दरों को कम करना, मात्रात्मक सहजता के उपाय, ऋण की गारंटी, नकद हस्तांतरण और राजकोषीय प्रोत्साहन के उपाय इत्यादि।

महामारी की शुरुआत में लागू तीव्र लॉकडाउन, जब भारत में संक्रमण के केवल 100 मामलों की पुष्टि हुई थी, कई मायनों में भारत की अनूठी पहल थी जो महामारी विज्ञान और आर्थिक अनुसंधान दोनों के निष्कर्षों से प्रेरित थी। नीति ने Hansen और Sargent (2001) के नोबेल-पुरस्कार प्राप्त अनुसंधान को लागू किया है जो सबसे खराब स्थिति में नुकसान को कम करने पर केंद्रित नीति की सिफारिश करता है। महामारी विज्ञान अनुसंधान ने एक ऐसे देश में विशेष रूप से प्रारंभिक, कड़े लॉकडाउन के महत्त्व पर प्रकाश डाला, जहाँ उच्च जनसंख्या घनत्व ने सामाजिक दूरी के संबंध में कठिनाइयों का सामना किया। इसीलिये, भारत, जिसने मानव जीवन को बचाने पर ध्यान केंद्रित किया, ने स्वीकार किया कि प्रारंभिक, कड़े लॉकडाउन की अल्पकालिक परेशानियों से बचाए जीवन में और आर्थिक सुधार की गति में दीर्घकालिक लाभ होगा। और सचमुच सैकड़ों लोगों की जान बचाई जा चुकी है और वी-आकार की आर्थिक रिकवरी देखी जा रही है।

भारत ने यह भी माना कि महामारी, अर्थव्यवस्था में आपूर्ति और मांग दोनों को प्रभावित करती है। सुधारों के दौरान ध्यान रखा गया था कि लॉकडाउन के दौरान आपूर्ति-संबंधी व्यवधान, जो अपरिहार्य थे, मध्यम से दीर्घावधि में कम-से-कम हो। मांग पक्ष की नीति ने इस समझ को प्रतिबिंबित किया कि समग्र मांग, विशेष रूप से गैर-आवश्यक वस्तुओं के लिये, बचत करने के लिये निवारक उद्देश्यों को दर्शाती है, जो समग्र अनिश्चितता अधिक होने पर अनिवार्य रूप से उच्च रहती है। इसीलिये, महामारी के शुरुआती महीनों के दौरान जब अनिश्चितता अधिक थी और लॉकडाउन ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिये थे, भारत ने विवेकाधीन खपत को बढ़ाने की कोशिश में कीमती वित्तीय संसाधनों को बर्बाद नहीं किया। बल्कि हमारे नीति निर्माताओं ने यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया कि सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए जिसके अंतर्गत कमज़ोर वर्गों के लिये प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और 80.96 करोड़ लाभार्थियों को लक्षित करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सब्सिडी कार्यक्रम सहित तनावग्रस्त क्षेत्रों को अति आवश्यक राहत प्रदान करने के लिये आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना शामिल हैं।

अनलॉक चरण के दौरान, जब अनिश्चितता में गिरावट आई और सब्सिडी बचत एहतियाती मकसद थी, एक ओर आर्थिक गतिशीलता में वृद्धि हुई, दूसरी ओर, भारत ने अपने राजकोषीय खर्च में वृद्धि की। एक अनुकूल मौद्रिक नीति ने अस्थायी नैतिकता के माध्यम से देनदारों को प्रचुर मात्रा में तरलता और तत्काल राहत सुनिश्चित की। भारत सितंबर के मध्य में अपने मामले में, महामारी विज्ञान वक्र को समतल करने के प्रबंधन में और दूसरी लहर से बचने में सक्षम रहा है। जैसा कि अनुमान था, जबकि लॉकडाउन में पहली तिमाही (Q1) में जीडीपी में 23.9 प्रतिशत का संकुचन हुआ, आर्थिक रिकवरी V आकार के साथ दूसरी तिमाही (Q2) में 7.5 प्रतिशत की गिरावट रही, जिसे सभी प्रमुख आर्थिक संकेतकों में सुधार के रूप में देखा गया है।

वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में 7.7 प्रतिशत की कमी का अनुमान है, पहली छमाही में 15.7 प्रतिशत की गिरावट और दूसरी छमाही में मामूली 0.1 प्रतिशत की गिरावट के साथ सेक्टर-वार, कृषि आशा की किरण के रूप में कायम है, जबकि संपर्क-आधारित सेवाएँ, विनिर्माण, निर्माण क्षेत्र जो सबसे चुनौतीपूर्ण थे, लगातार ठीक हो रहे हैं। हालाँकि सरकारी खपत और शुद्ध निर्यात ने विकास को नीचे गिराया है। V आकार के आर्थिक सुधार को महा टीकाकरण अभियान की शुरुआत के साथ सेवा क्षेत्र में मज़बूत रिकवरी की उम्मीद है। साथ में, उपभोग और निवेश में मज़बूत वृद्धि की संभावनाओं को वित्त वर्ष 2021-22 के लिये अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि 11 प्रतिशत के साथ फिर से जगाया गया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 30 जनवरी, 2020 को कोविड-19 को 'अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल' (PHEIC) घोषित किया और सलाह दी कि सभी देशों को नियंत्रण के लिये तैयार रहना चाहिये, जिसमें सक्रिय निगरानी, शीघ्र पहचान, अलगाव और प्रबंधन मामले, संपर्क अनुरेखण और आगे के प्रसार की रोकथाम शामिल हैं। दैनिक मामलों की संख्या में तेज़ी से वृद्धि होने से WHO ने 11 मार्च, 2020 को इस संकट को वैश्विक महामारी घोषित किया। इसके उद्भव के तीन महीने की अवधि के भीतर दुनिया भर में 10 करोड़ से अधिक मामलों की पुष्टि हुई और 2 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई जो अभी भी जारी है।

2 राजकोषीय विकास (Fiscal Development)

"सटीकता ऊर्जा को तथा समय गति को नियंत्रित करती है"
–कोनर मेकग्रेगर

संकटकाल की पृष्ठभूमि में, 2020-21 राजकोषीय मोर्चे पर एक चुनौतीपूर्ण वर्ष रहा। आर्थिक गतिविधि में रुकावट के कारण राजस्व संग्रह में कमी, कमज़ोर लोगों, छोटे व्यवसायों, और सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था पर महामारी के नतीजों को कम करने के लिये अतिरिक्त व्यय आवश्यकताओं ने उपलब्ध सीमित राजकोषीय संसाधनों पर अत्यधिक दबाव बनाया। संसाधनों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये केंद्र सरकार के ग्रॉस मार्केट बोरोविंग्स के लक्ष्य को ₹7.8 लाख करोड़ के बजट आकलन से संशोधित कर ₹12 लाख करोड़ कर दिया गया।

इसीलिये, भारत ने कई देशों द्वारा अपनाए गए फ्रंट-लोडेड बड़े प्रोत्साहन पैकेज के विपरीत अर्थव्यवस्था की उभरती स्थिति के लिये सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण अपनाया। भारत की राजकोषीय नीति ने इस समझ को प्रतिबिंबित किया कि कुल मांग, विशेष रूप से गैर-आवश्यक वस्तुओं के लिये, बचत करने के लिये एहतियाती उद्देश्यों को दर्शाती है। इसीलिये, महामारी के शुरुआती महीनों के दौरान जब अनिश्चितता अधिक थी और लॉकडाउन ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिये थे, तब भारत ने विवेकाधीन खपत/उपभोग को बढ़ाने की कोशिश में कीमती वित्तीय संसाधनों को बर्बाद नहीं किया। इसके बदले, हमारी नीति ने यह सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया कि सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए, जिसमें कमज़ोर वर्गों के लिये प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण, छोटे व्यवसायों के लिये आपातकालीन ऋण और 80.96 करोड़ लाभार्थियों को लक्षित दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सब्सिडी कार्यक्रम शामिल था। अनलॉक चरण के दौरान, एक ओर अनिश्चितता में गिरावट आई और बचत करना एहतियाती मकसद था, तो वहीं दूसरी ओर आर्थिक गतिशीलता में वृद्धि हुई। भारत ने समग्र मांग पुनरुद्धार पर ध्यान केंद्रित करते हुए राजकोषीय खर्च में वृद्धि की। इस प्रकार, भारत की मांग-नीति, इस विचार को रेखांकित करती है कि ऐक्सेलरेटर पर दबाव डालते समय ब्रेक दबाना केवल ईंधन बर्बाद करना है।

पिछले कुछ महीनों में अर्थव्यवस्था की वसूली के कारण, मासिक राजस्व संग्रह में सुधार हुआ है। मासिक जीएसटी संग्रह ने पिछले 3 महीनों के दौरान लगातार ₹1 लाख करोड़ का आँकड़ा पार किया है, जो दिसंबर 2020 में अपने उच्चतम स्तर पर पहुँच गया। कर प्रशासन में सुधारों ने गतिशीलता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही की प्रक्रिया निर्धारित की है और इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि कर प्राधिकरण के साथ एक ईमानदार करदाता का अनुभव बढ़ता है, और इस प्रकार कर अनुपालन को प्रोत्साहन मिलता है। 2020-21 के लिये व्यय नीति आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये पूंजीगत व्यय घटक पर ज़ोर देने के साथ व्यय के पुनः प्राथमिकताकरण पर केंद्रित थी। राजस्व में कमी और वर्ष के दौरान उच्च व्यय की मांग को ध्यान में रखते हुए, सरकार को 2020-21 में राजकोषीय फिसलन दर्ज करने की उम्मीद है। हालाँकि राजकोषीय समेकन के मार्ग से यह विचलन क्षणिक हो सकता है क्योंकि राजकोषीय संकेतक अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ प्रतिक्षेप करते हैं। इस प्रकार, मध्यावधि में एक स्थायी राजकोषीय मार्ग को सक्षम करने के लिये जीडीपी की वृद्धि को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना निर्णायक होगा।

कोविड-19 महामारी के लिये राजकोषीय स्थिति और प्रतिक्रिया (Fiscal Situation and Response to Covid-19 Pandemic)

वित्त वर्ष 2020-21 की पहली दो तिमाहियों के दौरान, मंत्रालयों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। श्रेणी 'A' के मंत्रालय जनता को राहत प्रदान कर रहे थे। इन मंत्रालयों पर कोई व्यय प्रतिबंध नहीं लगाकर बढ़ा हुआ आवंटन इन्हें उपलब्ध कराया गया था। अन्य मंत्रालय जो सीधे तौर पर महामारी में शामिल नहीं थे, उन्हें 'B' श्रेणी में रखा गया और प्रति तिमाही उनके बजट का 20% खर्च करने की अनुमति दी गई। महामारी की स्थिति में कम प्राथमिकता वाले मंत्रालयों को 'C' श्रेणी में रखा गया था और पहली दो तिमाहियों में अपने बजट का 15% खर्च करने की अनुमति दी गई थी। हालाँकि, श्रेणी B और C मंत्रालयों में भी, घरेलू पूंजीगत व्यय पर खर्च की अनुमति इन उच्चतम सीमा से परे थी। इस वर्गीकरण ने सरकार को यह सुनिश्चित करने में सक्षम किया कि राजस्व प्राप्तियों में तीव्र संकुचन के बावजूद आवश्यक गतिविधियों के लिये धनराशि पूरी तरह से उपलब्ध कराई गई थी, और पुनः प्राथमिकता के लिये दुर्लभ संसाधनों का संरक्षण किया गया था।

- तीसरी तिमाही में आवागमन और स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों में ढील के साथ, सरकारी व्यय की गति में तेज़ी आई है। साथ ही सरकार ने उत्पादक घरेलू पूंजीगत व्यय पर अधिकतम प्राथमिकता दी है जिसका अर्थव्यवस्था पर उच्च गुणक प्रभाव पड़ता है। अप्रैल से दिसंबर 2020 तक का पूंजीगत व्यय ₹3.17 लाख करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय से 24% अधिक था। कुल व्यय में भी 11% की सालाना वृद्धि दर्ज की गई, जो अप्रैल से दिसंबर 2019 के दौरान ₹21.11 लाख करोड़ से बढ़कर अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान ₹23.4 लाख करोड़ हो गई। मासिक व्यय के विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि वर्ष 2020 के अंतिम तीन महीनों के दौरान पिछले वर्ष के समान महीनों की तुलना में अक्तूबर में कुल 9.5 प्रतिशत, नवंबर में 48.3 प्रतिशत और दिसंबर में 50.2 प्रतिशत की कुल व्यय में वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा, वर्ष 2020 के आखिरी तीन महीनों के दौरान पिछले वर्ष के समान महीनों की तुलना में पूंजीगत व्यय में वृद्धि अक्तूबर में 129.5 प्रतिशत, नवंबर में 248.5 प्रतिशत और दिसंबर में 81.9 प्रतिशत दर्ज की गई।

3 वैदेशिक क्षेत्र (External Sector)

वनानि दहतो वह्नेः सखा भवति मारुतः।
स एव दीपनाशाय कृशे कस्यास्ति सौहृदम्॥

(हवा जंगल को जलाने वाली आग की दोस्त बन जाती है पर वही हवा दीपक को बुझा देती है। ठीक इसी प्रकार कमज़ोर का साथ कोई नहीं देता अर्थात् शक्तिशाली का ही सभी समर्थन करते हैं। *-सुभाषित*

कोविड-19 महामारी ने महामंदी (ग्रेट डिप्रेशन, 1929-39) के बाद से सबसे बड़ी वैश्विक मंदी को जन्म दिया है। इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न आर्थिक संकट के कारण वैश्विक व्यापार में भारी गिरावट आई है, वस्तुओं की कीमतें कम हुई हैं और संकुचित बाहरी वित्तपोषण की स्थिति में चालू खाता शेष और विभिन्न देशों की मुद्राओं पर अलग-अलग दुष्प्रभाव पड़े हैं। वैश्विक व्यापारिक व्यवसाय में 2020 में 9.2 प्रतिशत तक कमी आने की उम्मीद है। कम आयात की वजह से चीन और अमेरिका के साथ व्यापार संतुलन में सुधार हुआ है। भारत के वैश्विक व्यापार की बदलती प्रकृति रत्न और गहने, इंजीनियरिंग सामान, कपड़ा और संबद्ध उत्पादों के निर्यात में कमी, वहीं दवाओं और फार्मा, सॉफ्टवेयर और कृषि और संबद्ध उत्पादों के निर्यात में सुधार के रूप में प्रकट हुई है। विशेष रूप से, फार्मा निर्यात ने इस अवसर का उपयोग भारत के कुल निर्यात में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिये किया और भारत को दुनिया की फार्मेसी होने की संभावना को इंगित किया। समायोज्य (रिज़िलियेंट) सॉफ्टवेयर सेवा निर्यातों के समर्थन से भारत को चालू वित्त वर्ष के दौरान चालू खाते में 17 वर्षों के अंतराल के बाद फिर से अधिशेष देखने की उम्मीद है। दूसरी ओर, पूंजी खाता शेष, मज़बूत एफडीआई और एफपीआई प्रवाह से मज़बूत हुआ है। इन परिवर्तनों के कारण विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई है, जो 8 जनवरी, 2021 तक 586.1 बिलियन यूएस डॉलर के उच्च स्तर तक पहुँच गया। विदेशी मुद्रा बाज़ार में आरबीआई का हस्तक्षेप अस्थिरता और रुपये के एकतरफा अधिमूल्यन को नियंत्रित करने में काफी हद तक सफल रहा है। हालाँकि इस हेडलाइन मुद्रास्फीति के उच्च स्तर ने आरबीआई के समक्ष शास्त्रीय ट्राइलेमा (त्रिधापाश) की स्थिति उत्पन्न की है, जिससे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने वाली संकुचित मौद्रिक नीति एवं वृद्धि के प्रोत्साहन के बीच अच्छा संतुलन बनाए रखा जा सके। इस पृष्ठभूमि से निर्यात को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न प्रयास किये गए जिनमें शामिल हैं-उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, निर्यात उत्पादों पर शुल्क और कर की छूट (आरओडीटीईपी), व्यापार लॉजिस्टिक्स के बुनियादी ढाँचे में सुधार और डिजिटल प्रयास जो निर्यात को सुगम बनाने में अधिक सहायक होंगे।

वैश्विक आर्थिक परिवेश (Global Economic Environment)

- महामारी के प्रसार के कारण आर्थिक गतिविधियों से जुड़े निलंबन, आपूर्ति-शृंखला में व्यवधान, यात्रा प्रतिबंध और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतों में अस्थिरता पैदा हुई। नतीजतन, वैश्विक उत्पादन वृद्धि में और व्यापार की मात्रा में गिरावट की लहर थी। वर्तमान मंदी में व्यापार में गिरावट की तुलना में जीडीपी में संकुचन बहुत अधिक हुआ है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने अप्रैल 2020 में, विश्व व्यापार के व्यवसाय में 2020 में 13-32 प्रतिशत की गिरावट की भविष्यवाणी की। हालाँकि, लॉकडाउन में ढील दिये जाने और आर्थिक गतिविधियों में तेज़ी के साथ, जून और जुलाई के महीनों में व्यापार में वृद्धि दर्ज की गई। तदनुसार, डब्ल्यूटीओ ने अक्तूबर 2020 में अपने अनुमानों को संशोधित किया है जिसके अनुसार 2020 में वैश्विक व्यापार की मात्रा में 9.2 प्रतिशत की गिरावट अका अनुमान है और 2021 में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि का। वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक के अक्तूबर 2020 संस्करण में, आईएमएफ ने 2020 में विश्व उत्पादन में 4.4 प्रतिशत की तेज़ गिरावट की उम्मीद की थी, लेकिन 2020 के विश्व व्यापार की मात्रा में अप्रैल 2020 में की गई भविष्यवाणी अर्थात् क्रमशः 3.0% तथा 11.0% की तुलना में 10.4 प्रतिशत संकुचन दर्ज किया गया था। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, जीडीपी के साथ-साथ व्यापार की मात्रा में उभरते बाज़ारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) की तुलना में काफी अधिक संकुचन होने का अनुमान है।
- विश्व व्यापार संगठन से उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार वैश्विक व्यापार में, वैश्विक स्तर पर 2020 की दूसरी तिमाही में अब तक सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। उक्त तिमाही के लिये डब्ल्यूटीओ का वस्तु व्यापार बैरोमीटर सूचकांक 84.5 यानी 2007 के बाद से अब तक का सबसे कम था जो, सूचकांक के लिये बेसलानइ वैल्यू 100 के 15.5 अंक नीचे और पिछले वर्ष की समान अवधि से 18.6 अंक नीचे है। हालाँकि, व्यापार पर प्रभाव क्षेत्रों में काफी भिन्नता है। 2020 में (तीसरी तिमाही तक), एई (Advanced Eonomies) को निर्यात में 12.9 प्रतिशत और आयात में 10.8 प्रतिशत की भारी गिरावट का सामना करना पड़ा, जबकि ईएमडीई ने निर्यात में 7.6 प्रतिशत और आयात में 10.1 प्रतिशत का थोड़ा संकुचन देखा।
- विभिन्न प्रकार के सामानों में व्यापार पर प्रभाव भी भिन्न-भिन्न होता है। जबकि कृषि उत्पादों का व्यापार 2020 की दूसरी तिमाही (-5 प्रतिशत बनाम -21 प्रतिशत) में दुनिया के औसत से कम हो गया, यह ईंधन और खनन उत्पादों के मामलों में तेज़ी से गिर गया (-38 प्रतिशत) क्योंकि कीमतें गिर गईं। इसके अलावा, मोटर वाहन उत्पादों के व्यापार में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई, हालाँकि, दूरसंचार उपकरण (जिसमें स्मार्टफोन भी शामिल हैं), इलेक्ट्रॉनिक्स (घर से काम करने की सुविधा के लिये) और फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में व्यापार में वृद्धि हुई।

4 मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता (Monetary Management and Financial Intermediation)

कोविड महामारी के कारण, देश की मौद्रिक नीति को मार्च 2020 से बहुत सरल बना दिया गया था। मार्च 2020 से रेपो दर में 115 बेसिक प्वाइंट्स (bps) की कटौती की गई है। इसमें मार्च 2020 में मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की हुई पहली बैठक में 75 bps और मई 2020 में समिति की हुई दूसरी बैठक में 40 bps की कटौती की गई थी। आगे की बैठकों में पॉलिसी की दरों को अपरिवर्तित रखा गया था लेकिन नकदी सहयोग (लिक्विडिटी सपोर्ट) में बहुत वृद्धि की गई थी। 2020-21 में अब तक प्रणालीगत तरलता (सिस्टेमिक लिक्विडिटी) अधिक बनी रही। आरबीआई ने अर्थव्यवस्था में नकदी की स्थिति के प्रबंधन हेतु ओएमओ, दीर्घावधि रेपो परिचालन, लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालन आदि जैसे परंपरागत और गैर-परंपरागत उपायों को अपनाया। हालाँकि अर्थव्यवस्था में बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय निगमों, दोनों के द्वारा ही ऋण वृद्धि को कम करने के कारण वित्तीय प्रवाह बाधित रहा। उच्च आरक्षित धन वृद्धि कम (समायोजित) धन गुणक के कारण पूरी तरह से आनुपातिक धन में परिवर्तित नहीं हुई, रिवर्स रेपो के तहत बैंकों को आरबीआई में बड़ी मात्रा में धनराशि जमा करनी पड़ी। 1 जनवरी, 2021 तक बैंकों की ऋण वृद्धि कम होकर 6.7 प्रतिशत रह गई थी। बैंकिंग क्षेत्र में क्रेडिट ऑफटेक में बड़े पैमाने पर 2020-21 में मंदी देखी गई। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात मार्च 2020 के अंत में 8.21 प्रतिशत था जो सितंबर 2020 के अंत में कम होकर 7.49 प्रतिशत रह गया। हालाँकि, इसे महामारी के कारण उधारकर्त्ताओं को दी जाने वाली संपत्ति वर्गीकरण राहत के साथ देखा जाना चाहिये। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की पूंजी से जोखिम-भारित संपत्ति अनुपात, सार्वजनिक और निजी, दोनों ही क्षेत्रों के बैंकों में हुए सुधार के कारण मार्च 2020 और सितंबर 2020 के बीच 14.7 प्रतिशत से बढ़ कर 15.8 प्रतिशत हो गया। इस वर्ष जमा और उधार दरों में पॉलिसी रेपो दरों के हस्तांतरण में भी सुधार देखा गया और मार्च से नवंबर 2020 के मध्य नए रुपये ऋण (फ्रेश रुपी लोन) और बकाया रुपये ऋण (आउटस्टैंडिंग रुपी लोन) पर भारित औसत ऋण दर में क्रमशः 94 बेसिक प्वाइंट्स और 67 बेसिक प्वाइंट्स की कमी आई। इसी प्रकार, इसी अवधि के दौरान भारित औसत घरेलू सावधि जमा दर में 81 बेसिक प्वाइंट्स की कमी हुई। 2020-21 के दौरान 20 जनवरी, 2021 को निफ्टी 50 और एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स के रिकॉर्ड ऊँचे स्तर पर पहुँचे और जो क्रमशः 14,644.7 तथा 49,792.12 पर बंद हुए। अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों की आईबीसी के माध्यम से रिकवरी दर 45% से अधिक रही है (आईबीसी की स्थापना से)। कोविड-19 महामारी को देखते हुए 6 माह के लिये 25 मार्च, 2020 को या इसके उपरांत किसी भी चूक के लिये कॉर्पोरेट इनसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस (सीआईआरपी) को निलंबित कर दिया गया। इसे 24 सितंबर, 2020 तथा 22 दिसंबर, 2020 को दो बार तीन-तीन माह के लिये विस्तारित किया गया। निलंबन और निरंतर क्लीयरेंस की वजह से ऐसे कुल मामलों में मामूली कमी आई।

2020-21 के दौरान मौद्रिक विकास (Monetary Development During 2020-21)

- रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) मार्च 2020 के बाद से पाँच बार बैठकें कर चुकी है। 27 मार्च, 2020 से, पॉलिसी रेपो रेट को 115 बेसिक प्वाइंट्स से घटाकर 5.15 प्रतिशत से 4.00 प्रतिशत कर दिया गया है। कोविड-19 के कारण पैदा हुई असाधारण स्थिति की वजह से वर्ष 2020-21 के दौरान मौद्रिक नीति से संबंधित उठाए गए कदम आवश्यक थे।

पॉलिसी दरों में संशोधन

लागू होने की तिथि	रेपो दर (प्रतिशत)	रिवर्स रेपो दर (प्रतिशत)	नकदी आरक्षित अनुपात (एनडीटीएल का प्रतिशत)	वैधानिक तरलता अनुपात (एनडीटीएल का प्रतिशत)	बैंक दर/एमएसएफ दर (प्रतिशत)
06-02-2020	5.15	4.90	4.00	18.25	5.40
27-03-2020	4.40	4.00	4.00	18.25	4.65
28-03-2020	4.40	4.00	3.00	18.25	4.65
17-04-2020	4.40	3.75	3.00	18.00	4.65
22-05-2020	4.00	3.35	3.00	18.00	4.25

स्रोत: आरबीआई; (एनडीटीएल: निवल मांग और मियादी देयताएँ)

- एमपीसी ने 27 मार्च, 2020 को अपने पहले द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में पॉलिसी रेपो रेट को 75 बेसिक प्वाइंट्स से कम कर 5.15 प्रतिशत से 4.40 प्रतिशत करने का फैसला किया था। इसके अलावा, रिवर्स रेपो दर को 90 बेसिक प्वाइंट्स कम कर 4.0 प्रतिशत कर दिया गया था, इस प्रकार रिज़र्व बैंक में निष्क्रिय रूप में धन जमा करने के लिये बैंकों के लिये विषम परिस्थिति बनाई गई और अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों में ऋण देने के लिये उन्हें अपनी निधियों का उपयोग करने को विवश किया गया। मई 2020 में दूसरी बैठक में एमपीसी ने शुरुआती अनुमानों के मुकाबले महामारी का व्यापक आर्थिक प्रभाव बहुत गंभीर बताने वाले आकलन के आधार पर पॉलिसी रेपो दरों में 40 बेसिक प्वाइंट्स की कटौती कर उसे 4.0 प्रतिशत कर दिया।

5 कीमतें और मुद्रास्फीति (Prices and Inflation)

परिचय (Introduction)

कोविड-19 महामारी द्वारा वैश्विक स्तर पर आर्थिक गतिविधियों के बाधित होने की वजह से वर्ष 2020 अभूतपूर्व था। घरेलू मोर्चे पर, एक तरफ, तो निम्न आर्थिक गतिविधियों के कारण मांग की दर कम हो गई थी तो दूसरी तरफ, आपूर्ति शृंखला में व्यवधान उत्पन्न होने की वजह से, खाद्य मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि हुई जो अर्थव्यवस्था के खुलने के दौरान भी जारी रही, हालाँकि हाल के महीनों में इसका प्रभाव मंद हुआ है। कुल मिलाकर, लॉकडाउन अवधि के दौरान और बाद में भी हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति की दर अधिकतम बनी रही, और इसका कारण आपूर्ति पक्ष में व्यवधान उत्पन्न होना था। कोविड-19 के प्रकोप और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में कच्चे तेल की कीमतों में और तेज़ गिरावट के परिणामस्वरूप सुस्त आर्थिक गतिविधियों की वजह से वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति का स्वरूप कमज़ोर बना रहा। उभरते बाज़ारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) में, कमज़ोर आर्थिक गतिविधियों के कारण मुद्रास्फीति में मामूली गिरावट आई, हालाँकि मुद्रास्फीति के पिछले वर्ष (आईएमएफ, 2020) के समान स्तर पर समाप्त होते हुए भी कुछ अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति में तेज़ी आई है।

विभिन्न मूल्य सूचकांकों के आधार पर सामान्य मुद्रास्फीति (प्रतिशत में)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21*
डब्ल्यूपीआई	5.2	1.2	–3.7	1.7	3.0	4.3	1.7	–0.1(P)
सीपीआई-सी	9.4	5.9	4.9	4.5	3.6	3.4	4.8	6.6(P)^
सीपीआई-आईडब्ल्यू	9.8	6.4	5.6	4.2	2.9	5.6	7.3	5.5#
सीपीआई-एएल	11.6	6.6	4.4	4.2	2.2	2.1	8.0	7.0
सीपीआई-आरएल	11.5	6.9	4.6	4.2	2.3	2.2	7.7	6.8

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, थोक मूल्य सूचकांक के लिये उद्योग और आंतरिक व्यापार प्रोत्साहन विभाग (डीपीआईआईटी), सीपीआई-सी के लिये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) और सीपीआई-आईडब्ल्यू, सीपीआई-एएल और सीपीआई-आरएल के लिये लेबर ब्यूरो।

नोट: #2020–21 के लिये सीपीआई-आईडब्ल्यू मुद्रास्फीति नई शृंखला 2016 = 100 पर आधारित है; P-अस्थायी; C-कंबाइंड, आईडब्ल्यू-औद्योगिक श्रमिक, एएल-कृषि मज़दूर, आरएल-ग्रामीण मज़दूर।

*डब्ल्यूपीआई, सीपीआई-सी अप्रैल से दिसंबर 2020 और अन्य के लिये अप्रैल से नवंबर 2020

^अप्रैल-मई 2020 के लिये सीपीआई-सी मुद्रास्फीति को अध्यारोपित किया जाता है, जो कोविड-19 महामारी के कारण टिप्पणियों के सीमित समूह पर आधारित हैं।

उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और ईएमडीई में वार्षिक औसत उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति

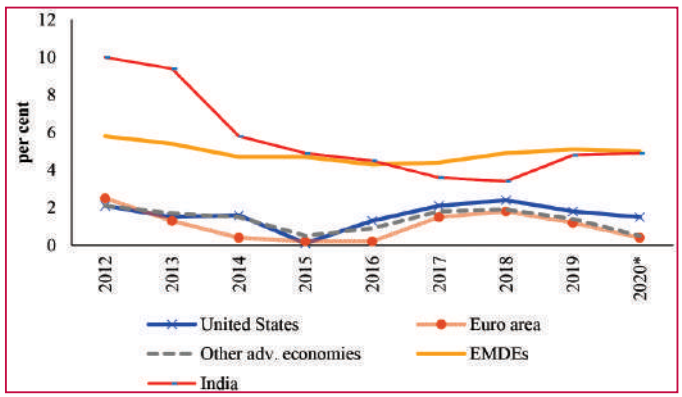

स्रोत: विश्व आर्थिक आउटलुक, अक्तूबर 2020 अपडेट, आईएमएफ

नोट: *आईएमएफ द्वारा 2020 के लिये आँकड़ों का अनुमान लगाया गया है।

उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में 16 अर्थव्यवस्थाएँ शामिल हैं और आईएमएफ वर्गीकरण के अनुसार ईएमडीई में 156 अर्थव्यवस्थाएँ शामिल हैं।

6 सतत विकास और जलवायु परिवर्तन
(Sustainable Development and Climate Change)

ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्: दुःखभाग्भवेत्॥
सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, सभी का कल्याण हो;
किसी को किसी भी प्रकार का दुःख न हो।

-(बृहदारण्यक उपनिषद 1.4.14)

17 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) और 169 संबद्ध लक्ष्यों के साथ सतत विकास के लिये 2030 के एजेंडा में एक व्यापक विकासात्मक एजेंडा भी शामिल है जो सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय आयामों को समाहित करता है। सरकार की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों में एसडीजी को मुख्यधारा में लाने के लिये राष्ट्रीय और उप राष्ट्रीय स्तर पर कई पहल की गई हैं। भारत समान परंतु विभेदित उत्तरदायित्वों और संबंधित क्षमताओं एवं समता सिद्धांतों (Principles of Common But Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities and Equity) के अनुसार अपने दायित्वों को पूरा करने के लिये कई सक्रिय जलवायु कार्रवाई कर रहा है। जैसा कि यूएनएफसीसीसी और इसके पेरिस समझौते में अनिवार्य है, विकासशील देशों की जलवायु संबंधी क्रियाओं को विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों में वित्त प्रवाह के माध्यम से समर्थित करना होगा। देश की विकासात्मक आवश्यकताओं और 'सर्वोत्तम प्रयास' के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान (Nationally Determined Contribution) प्रस्तुत किया गया है। भारत ने अपने एनडीसी में वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद में उत्सर्जन की मात्रा को वर्ष 2005 के स्तर से 33 से 35 प्रतिशत तक कम करने की; वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 40 प्रतिशत संचयी विद्युत शक्ति की स्थापित क्षमता प्राप्त करने तथा वर्ष 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक निर्मित करने के लिये वन एवं आच्छादन क्षेत्र को बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की है। हमें विभिन्न राष्ट्रों के मध्य और एक राष्ट्र एवं सर्वत्र तथा भावी पीढ़ियों के मध्य अनिवार्यत: समानता के प्रयास करने की आवश्यकता है। कोविड-19 महामारी और परिणामी लॉकडाउन का अविश्वसनीय प्रभाव इस तथ्य को दोहराता है कि सतत विकास ही एकमात्र आगे का रास्ता है।

परिचय (Introduction)

- सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की आधिकारिक स्वीकृति की चौथी वर्षगांठ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कोरोना वायरस रोग 2019 (कोविड-19) के प्रकोप को 30 जनवरी, 2020 को घोषित किया। इसके परिणाम से सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल, जिसे बाद में एक महामारी के रूप में घोषित किया था, इसने विभिन्न देशों को मानव और आर्थिक लागतों के कारण विकास लक्ष्यों से पीछे हटने और एसडीजी की प्राप्ति में गंभीर बाधाएँ पैदा करने के लिये प्रेरित किया है।
- वर्ष 2020 के विषय में ऐसा माना जाता था कि इस वर्ष विकसित देश की पार्टियाँ जलवायु वित्त के लिये संयुक्त रूप से US$ 100 बिलियन का लक्ष्य पूरा कर देंगी, जो विकसित देशों द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं का एक अनिवार्य घटक थीं, जो दुशप्राय (Elusive) बना हुआ है। सीओपी 26 का 2021 तक स्थगन भी 2025 के पश्चात के लक्ष्य को निर्धारित करने के लिये बातचीत और अन्य साक्ष्य-आधारित कार्यों के लिये कम समय देता है।
- भारत महामारी द्वारा उत्पन्न किये गए अभूतपूर्व संकट का अपवाद नहीं है। यह महत्त्वपूर्ण आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करके, आजीविका की हानि का समाधान करके और व्यापक आर्थिक सुधारों को प्रस्तुत और लागू करके चुनौतियों का सामना कर रहा है। हालाँकि, संधारणीय विकास की आवश्यकता देश की विकास रणनीति के मूल में बनी हुई है।

भारत और सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) (India and the SDGs)

- भारत ने सरकार की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों में एसडीजी को मुख्यधारा में लाने के लिये राष्ट्रीय और उप राष्ट्रीय स्तर पर कई सक्रिय कदम उठाए हैं। 2020 में, भारत की एसडीजी पहलों का मुख्य आकर्षण स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा [(Voluntary National Review) (वीएनआर)] है, जिसे सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र के उच्च-स्तरीय राजनीतिक फोरम (एचएलपीएफ) को प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के तत्त्वावधान में एसडीजी की समीक्षा और अनुवर्ती कार्रवाई के लिये सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय मंच है। समीक्षाएँ स्वैच्छिक और देश के नेतृत्व वाली हैं और उनका उद्देश्य सफलताओं, चुनौतियों और सबक सहित अनुभवों के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करना है। जुलाई 2020 में नीति आयोग ने एचएलपीएफ में भारत का दूसरा वीएनआर प्रस्तुत किया, जिसने देश की उपलब्धियों और एसडीजी को प्राप्त करने की दिशा में इसके आगे बढ़ने के तरीके पर प्रकाश डाला। विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त प्रगति के अलावा, वीएनआर रिपोर्ट ने एसडीजी स्थानीयकरण का भारतीय मॉडल, विभिन्न हितधारक परामर्शों का दृष्टिकोण, एसडीजी के कार्यान्वयन के साथ व्यवसायों को एकीकृत करने की रणनीति और कार्यान्वयन के साधनों को मज़बूत करने के तरीके भी प्रस्तुत किये।

7 कृषि और खाद्य प्रबंधन
(Agriculture and Food Management)

कृषक बिना निज स्वार्थ से, लोक का भरण करता है और इस संपूर्ण जगत के जीवों को, अपनी इस सत्ता के आश्रय में ले आता है।

–तिरुवल्लुवर

भारत के कृषि क्षेत्र की लचीलता इस तथ्य से स्पष्ट है कि कोविड-19 महामारी के बावजूद उत्पादन के मामले में इसका प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा। आज भी देश का लगभग 54.6 प्रतिशत कार्यबल कृषि कार्य और संबद्ध क्षेत्र की गतिविधियों में संलग्न (वर्ष 2011 की जनगणना) है, जो देश के सकल मूल्य वर्द्धन [Gross Value Added (जीवीए)] वर्ष 2019-20 (मौजूदा कीमतों पर) के लगभग 17.8 प्रतिशत के बराबर है। कोविड की वजह से लागू लॉकडाउन द्वारा उत्पन्न कठिनाइयों ने गैर-कृषि क्षेत्र के प्रदर्शन को प्रतिकूल ढ़ंग से प्रभावित किया, तथापि वर्ष 2020-21 (प्रथम अग्रिम अनुमान) के दौरान सतत (Constant) कीमतों पर कृषि क्षेत्र ने 3.4 प्रतिशत की दमदार विकास दर हासिल की। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत शुरू किये गए विभिन्न उपायों जैसे ऋण, बाज़ार में सुधार और खाद्य प्रसंस्करण से इस उद्योग में नवीन स्फूर्ति आई। पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन सहित संबद्ध क्षेत्रों में विकास की गति तेज करने के लिये सरकार द्वारा किये गए उपाय संबद्ध क्षेत्रों की क्षमता का दोहन करने के संकल्प को प्रदर्शित करते हैं जो अंततोगत्वा कृषि क्षेत्र के कल्याण व खाद्य और पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने में मददगार साबित होंगे। खाद्य पदार्थों की उत्पादकता और विपणन को बढ़ाने के लिये विभिन्न उपाय करने के अलावा सरकार खाद्य सब्सिडी के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण वित्तीय निहितार्थ के साथ एक विशाल खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम भी संचालित करती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अधीन 80.96 करोड़ लाभार्थियों को अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया था, अर्थात एनएफएसए द्वारा अनुमोदित आवश्यकता से अधिक, इस योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह की दर से नवंबर 2020 तक मुफ्त में उपलब्ध कराया गया था। लगभग 200 लाख मैट्रिक टन (एलएमटी) खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया था जिस पर सरकार ने ₹75,000 करोड़ से अधिक खर्च किये। साथ ही, आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत, प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह की दर से चार महीनों (मई से अगस्त) तक लगभग 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को (जो एनएफएसए या राज्य राशन कार्ड के अधीन लाभार्थी नहीं थे) को वितरित किया गया। सरकार ने इस योजना पर सब्सिडी के रूप में लगभग ₹3109 करोड़ खर्च किये।

परिचय (Introduction)

कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी ने संपूर्ण विश्व में लोगों के जीवन को प्रभावित किया है और भारत भी इसका अपवाद नहीं है। कृषि कार्यों और किसानों को भी इस वैश्विक महामारी का दंश झेलना पड़ा क्योंकि कोविड की वजह से लगाए गए लॉकडाउन ने कृषि मशीनरी सहित कृषि आदानों के एक-स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन को प्रभावित किया। रबी फसल के कटाई के मौसम के शुरू होने के साथ ही राष्ट्रीय लॉकडाउन घोषित किया गया, जिसकी वजह से इस क्षेत्र को और अधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी कृषि श्रमिकों के उनके मूल निवास स्थान पर वापस लौटने की वजह से कृषि क्षेत्र को श्रमिकों की कमी का सामना करना पड़ा। हालाँकि भारतीय कृषि प्रणाली ने ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में लचीलापन दिखाया। अन्य क्षेत्रों के कमजोर प्रदर्शन के मध्य वर्ष 2020-21 के दौरान सतत कीमतों पर 3.4 प्रतिशत के विकास दर के साथ कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र एकमात्र उज्ज्वल क्षेत्र था। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न सभी प्रतिकूल स्थितियों में कृषि वस्तुओं विशेष रूप से चावल, गेहूँ, दाल और सब्जियों जैसे खाद्य पदार्थों की निरंतर आपूर्ति की वजह से खाद्य सुरक्षा बनी रही। कृषि क्षेत्र को आगे सशक्त बनाने तथा सहयोग करने के लिये, भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम शुरू किये हैं।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत कृषि एवं खाद्य प्रबंधन के लिये मुख्य घोषणाएँ

घोषणा	उद्देश्य
₹1 लाख करोड़ की कृषि अवसंरचना निधि	फार्म-गेट और संग्रहण बिंदु पर कृषि अवसंरचना परियोजनाओं के साथ-साथ कटाई के बाद वित्तीय रूप से व्यवहार्य प्रबंधन अवसंरचना के वित्तपोषण के लिये वित्तीय सहायता दी जाएगी।
सूक्ष्म खाद्य उद्यमों (एमएफई) को औपचारिक रूप देने के लिये ₹10,000 करोड़ की योजना	भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के खाद्य मानकों को प्राप्त करने के लिये तकनीकी उन्नयन, ब्रांड का निर्माण करने और विपणन में सहयोग देने के लिये 2 लाख एमएफई को वित्तीय सहायता दी जाएगी।

8 उद्योग और आधारभूत संरचना (Industry and Infrastructure)

"हर संकट के बीच, महान अवसर निहित है।"

–अल्बर्ट आइंस्टीन

कोविड-19 महामारी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को "शताब्दी में एक बार" पड़ने वाले संकट का सामना करना पड़ा। जिसने आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित किया और फलस्वरूप अरबों लोगों की जीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। उद्योग क्षेत्र भी इस झटके का अपवाद नहीं है, लॉकडाउन के दौरान इसमें भी तेज़ गिरावट देखी गई। तथापि, जैसे ही अनलॉक प्रक्रिया शुरू हुई वैसे ही आर्थिक गतिविधियाँ ठीक होने लगीं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) तथा आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक के विभिन्न उप-घटकों में संकटपूर्व स्तरों की तरफ सतत संचलन के साथ V-आकार का सुधार हुआ। औद्योगिक गतिविधियों का शीघ्र ठीक हो जाना और मज़बूत आधार बनना मुख्यत: उपचारात्मक उपायों, सुधारों तथा भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत विशाल प्रोत्साहन पैकेज घोषित करने की वजह से ही संभव हो पाया है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आधार पर औद्योगिक गतिविधियाँ अप्रैल 2020 में 57.3 प्रतिशत की गिरावट (Nadir) से सुधरकर नवंबर 2020 में 1.9 प्रतिशत तक संकुचित (Contracted) हो गई हैं। सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय में वृद्धि किये जाने, टीकाकरण अभियान चलाए जाने तथा लंबे समय से अपेक्षित सुधार उपायों को दृढ़ता से लागू किये जाने से औद्योगिक गतिविधियों में और तेज़ी एवं दृढ़ता आने की उम्मीद है। यहाँ यह उल्लेख करना ज़रूरी है कि हमारा देश विश्व की उन प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है जिन्होंने सबसे व्यापक सुधार किये हैं।

परिचय (Introduction)

- वैश्विक महामारी के बीच वित्त वर्ष 2020-21 (वित्त वर्ष 2021) की शुरुआत हुई। इस महामारी से निपटने के लिये देशों ने अभूतपूर्व उपाय अपनाए जिनसे अर्थव्यवस्था अचानक रुक गई। लॉकडाउन में केवल आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही को छोड़कर अन्य सभी लोगों व वस्तुओं की स्थानीय व वैश्विक आवाजाही पर लगने वाले प्रतिबंध एक प्रकार के बाह्य झटके जैसे थे जिसने अर्थव्यवस्था के सामने गंभीर चुनौतियाँ खड़ी कर दी तथा अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न कर दी। इसी कारण से लोगों को आजीविका की भी भारी हानि हुई, जिसके परिणामस्वरूप लोग विस्थापित होने लगे हालाँकि चरणबद्ध ढंग से किये जाने वाला अनलॉक अर्थव्यवस्था के संभलने में सहायक सिद्ध हुआ। भारतीय अर्थव्यवस्था को पुन: सशक्त बनाया जाना व्यापार को महत्त्व देने वाले तथा आजीविकाओं को उत्पन्न करने वाले विभिन्न सुधारक उपायों पर निर्भर करता है।
- भारत में ऐसी नीतियाँ अपनाई जा रही हैं जहाँ लेन-देन की लागतों को घटाया जा रहा है, सूक्ष्म मध्यम उद्यमों को सहायता दी जा रही है, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जा रहा है और आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से रोज़गार सृजन को बढ़ावा दिया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र का कार्य-निष्पादन इसीलिये महत्त्व रखता है क्योंकि अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्र से इसके साथ बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज हैं। आत्मनिर्भर भारत के लिये एक सशक्त औद्योगिक क्षेत्र का होना अपरिहार्य शर्त है। कोई भी पहल जिसका लक्ष्य तेज़ी से किये जाने वाला सुधार है, उसमें औद्योगिक मामले उसके केंद्र बिंदु होने चाहिये।
- अर्थव्यवस्था को राहत व सहायता देने के लिये ₹29.87 लाख करोड़ अथवा भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 15 प्रतिशत के समकक्ष आकर्षक-उपाय समाविष्ट किये गए हैं। इन उपायों के तदनंतर ऐसे प्रयास किये गए जिनसे अर्थव्यवस्था और अधिक मज़बूत होती है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान

आत्मनिर्भर भारत अभियान भारत को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की भारत सरकार की दूरदर्शिता है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत घोषणाएँ तीन अलग-अलग चरणों में की गई थीं। उद्योग और आधारभूत संरचना से संबंधित महत्त्वपूर्ण उपायों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है-

आत्मनिर्भर भारत 1.0

- **कोविड-19 का सामना करने के लिये एमएसएमई को राहत और ऋण सहायता**
- **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों सहित को ₹3 लाख करोड़ का बिना जमानत के सचालित ऋण:** इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को राहत देने के लिये बनाई गई, जिसमें उनको ₹3 लाख करोड़ तक की अतिरिक्त निधि पूर्णत: गारंटित (प्रत्याभूत) आपातकाल क्रेडिट लाइन के रूप में उपलब्ध करवाई जा रही है। ₹25 करोड़ तक के बकाया और ₹100 करोड़ के टर्नओवर वाले उधारकर्त्ता इसके पात्र होंगे। यह योजना मूलधन और ब्याज पर बैंकों और एनबीएफसी को 100 प्रतिशत क्रेडिट गारंटी सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें किसी प्रकार के गारंटी शुल्क और नई जमानत की आवश्यकता नहीं है।

9 सेवाएँ (Services)

कोविड-19 महामारी के बाद किये गए लॉकडाउन तथा सामाजिक दूरी के उपायों का संपर्क गहन सेवा क्षेत्र (Contact-Intensive Service Sector) पर बुरा प्रभाव पड़ा है। वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में सेवा क्षेत्र लगभग 16 प्रतिशत तक संकुचित हो गया। मार्च 2020 में पहली बार लॉकडाउन की घोषणा होते ही हवाई यात्री यातायात, रेल माल यातायात, बंदरगाह यातायात, विदेशी पर्यटकों के आवागमन तथा विदेशी मुद्रा से होने वाली आय में बहुत तेज़ गिरावट देखी गई। अनलॉक चरण के बाद अर्थव्यवस्था के धीरे-धीरे पटरी पर आने से इनमें से अधिकांश संकेतकों में सुधार होता दिख रहा है। सेवा क्रय प्रबंधन सूचकांक (Services Purchasing Managers Index), रेल माल यातायात तथा बंदरगाह यातायात में आ रही गिरावट अब थम गई है और इनमें धीरे-धीरे होती वृद्धि V-आकार में सुधार दर्शा रही है। घरेलू हवाई यात्री यातायात में भी धीरे-धीरे मासिक आधार पर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालाँकि पिछले वर्ष की तुलना में यात्रा मंद है। इसके अलावा वैश्विक पटल पर उभरी बाधाओं के बावजूद सेवा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) अंतर्वाह काफी मज़बूत हुआ है तथा पिछले वर्ष की तुलना में अप्रैल-सितंबर 2020 में हुई वर्ष-दर-वर्ष 34 प्रतिशत की वृद्धि के साथ US$23.61 अरब तक पहुँच गया है। वर्ष 2020-21 में कई महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक सुधार हुए। अंतरिक्ष क्षेत्र खोल दिया गया, आई-टी-बीपीओ क्षेत्र से दूरसंचार संबंधी विनियमन हटा दिये गए और ई-कॉमर्स के लिये उपभोक्ता संरक्षण नियमों को पेश किया गया।

भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का महत्त्व बरकरार है, इस समय समग्र अर्थव्यवस्था तक सकल मूल्यवर्द्धन (जीवीए) में इसका हिस्सा 54 प्रतिशत से अधिक है तो भारत में आने वाले कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 4/5 हिस्सा है। तथापि वर्ष 2010-11 में बंदरगाहों पर शिपिंग टर्नअराउड टाइम 4.67 दिन था जो वर्ष 2019-20 में घटकर 2.62 दिन यानि लगभग आधा रह गया है। भारत 38 यूनीकॉर्न (स्टार्ट-अप) का घर है तथा उल्लेखनीय है कि इनमें से रिकॉर्ड 12 स्टार्ट-अप पिछले वर्ष ही यूनीकॉर्न सूची में जुड़े हैं। चल रहे टीकाकरण अभियान के साथ, संपर्क गहन सेवा क्षेत्रों में पुनरुद्धार की उम्मीद की जा सकती है।

भारत में सेवा क्षेत्र का निष्पादन : सिंहावलोकन (Services Sector Performance in India : An Overview)

कोविड-19 का सेवा क्षेत्र पर प्रभाव *(Impact of COVID-19 on Services Sector)*

- कोविड-19 महामारी और उसके कारण देशभर में तथा विश्वभर में मार्च 2020 से लगाए गए लॉकडाउन ने वर्ष 2020 को एक असामान्य वर्ष बना दिया। संपर्क-गहन सेवा क्षेत्र विशेषकर पर्यटन, विमानन एवं आतिथ्य जैसे उप-क्षेत्र इससे बहुत ही बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 के पूर्वार्द्ध में सेवा क्षेत्र लगभग 16 प्रतिशत वर्ष-दर-वर्ष तक संकुचित हो गया। जिसका कारण सभी उप-क्षेत्रों विशेषकर 'व्यापार, होटल, परिवहन, संचार तथा प्रसारण संबंधित सेवाओं' में तेज़ी से आई गिरावट थी जो पूर्वार्द्ध वित्त-वर्ष 2020-21 में 31.5 प्रतिशत दर्ज की गई। प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार सेवा क्षेत्र के सकल मूल्य वर्द्धन में 2020-21 में 8.8 प्रतिशत तक संकुचन होने का अनुमान लगाया गया है जबकि 2019-20 में इनमें 5.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। उप-क्षेत्र 'व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण संबंधी सेवाएँ', 'वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएँ' तथा लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाओं' में क्रमशः 21.41 प्रतिशत, 3.68 प्रतिशत तथा 0.82 प्रतिशत का संकुचन होने का अनुमान है। यह उल्लेखनीय है कि जहाँ वित्त वर्ष 2020-21 की प्रथम तिमाही में 20 प्रतिशत से अधिक का संकुचन हुआ, वहीं दूसरी तिमाही यह कम होकर 11.4 प्रतिशत हो गया। अनुमान से तेज़ गति से हुआ यह सुधार मौटे तौर पर उच्च आवृत्ति संकेतकों की पुष्टि करता है तो जून 2020 में अर्थव्यवस्था को नियंत्रित तरीके से खोले जाने के बाद अर्थव्यवस्था की गति में आई तेज़ी को इंगित करते हैं।

भारत के सकल मूल्य वर्द्धन में सेवा क्षेत्र का निष्पादन

क्षेत्र	सकल मूल्य वर्द्धन में हिस्सा (प्रतिशत)			संवृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष-वृद्धि प्रतिशत)			
	2020-21	2018-19	2019-20	2020-21	2020-21	2020-21	
	(AE)	(1st RE)	(PE)	(AE)	(H1)	Q1	Q2
कुल सेवाएँ (निर्माण कार्य के अलावा)	54.3	7.7	5.5	-8.8	-15.9	-20.6	-11.4
व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण संबंधी सेवाएँ	15.4	7.7	3.6	-21.41	-31.5	-47.0	-15.6

10 सामाजिक अवसंरचना, रोज़गार और मानव विकास (Social Infrastructure, Employment and Human Development)

वर्ष 2020 की शुरुआत सदी में विरले ही होने वाली महामारी से हुई, जिसके दौरान हमने देखा कि स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना वायरस से मानव जीवन को बचाने में सबसे आगे रहकर अनवरत काम किया। हालाँकि इस महामारी ने अर्थव्यवस्था और सामाजिक क्षेत्र को हिलाकर रख दिया, परंतु फिर भी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने समय पर हस्तक्षेप करते हुए महामारी को नियंत्रित करने के उपाय किये। भारत में कोविड-19 से मृत्यु दर सबसे कम 1.5 प्रतिशत है। भारत ने अपनी कारगर नीति को लागू करके लाखों की ज़िंदगी बचाई है। महामारी के कारण होने वाले कष्टों को कम करने और लॉकडाउन के कारण आजीविका के नुकसान को कम करने के लिये सामाजिक क्षेत्र पर सार्वजनिक व्यय को 2020-21 में बढ़ाया गया था।

लॉकडाउन के दौरान, ऑनलाइन स्कूली शिक्षा बड़े पैमाने पर लोकप्रिय हुई और सरकार ने सभी बच्चों के लिये ऑनलाइन शिक्षा सुलभ बनाने के लिये कई उपाय किये। इसी तरह लॉकडाउन अवधि में भी गिग अर्थव्यवस्था की वृद्धि हुई और संगठित क्षेत्र में घर से काम (Work From Home) करने की बढ़ती प्रवृत्ति देखी गई। पीएलएफएस रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार 2017-18 के दौरान 47.14 करोड़ की तुलना में, 2018-19 के दौरान कार्यबल बढ़कर कुल 48.78 करोड़ हो गया। कार्यबल की संख्या में लगभग 1.64 करोड़ की वृद्धि हुई, जिसमें से 1.22 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र के और 0.42 करोड़ शहरी क्षेत्र के थे। इनमें 0.92 महिलाएँ और 0.72 करोड़ पुरुष थे। दि टाइम यूज़ सर्वे, 2019 की रिपोर्ट है कि महिलाएँ प्रतिदिन रोज़गार से संबंधित कार्यों (5.7 घंटे) की तुलना में घर के कामकाज और घर के सदस्यों की देखभाल संबंधी कार्यों (7.5 घंटे) में अधिक समय लगाती हैं। यह श्रम बाज़ार में महिला भागीदारी कम होने के मुख्य कारणों में से एक है। स्वास्थ्य क्षेत्र में, स्वास्थ्य की अधारभूत सेवाओं को मज़बूत बनाने और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में दक्षता एनएफएचएस-5 के परिणामों में प्रदर्शित हो रही थीं। जिसमें एनएफएचएस-4 की तुलना में एनएफ एचएस-5 में अधिकांश चयनित राज्यों में शिशु मृत्यु-दर और पाँच वर्षों से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में गिरावट आई। 2020-21 के दौरान आजीविका के नुकसान पर कोविड-19 प्रेरित प्रतिबंधों के प्रभावों को कम करने के लिये सरकार ने विभिन्न उपाय किये हैं। जैसे कि आत्मनिर्भर योजना के तहत रोज़गार को बढ़ावा देने के लिये प्रोत्साहन देना, मनरेगा के लिये उच्चतर आवंटन, गंतव्य राज्य में प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिये गरीब कल्याण रोज़गार अभियान और अर्थव्यवस्था क्षेत्र में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिये पथप्रवर्तक सुधारों को लागू किया गया है।

परिचय (Introduction)

कोविड-19 ने महामारी का सामना करने में समाजों, राज्यों और देशों की कमज़ोरियों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। भारत ने 24 मार्च, 2020 से 31 मई, 2020 तक अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बंद कर दिया था, जिसने कोविड-19 की वजह से मौतों की संख्या को कम करने में मदद की, साथ ही बीमारी के प्रसार को रोकने के लिये एहतियाती कदम उठाने और इससे भारत में लाखों लोगों का जीवन बचाने में मदद मिली। लेकिन लॉकडाउन का निश्चित रूप से संवेदनशील और अनौपचारिक क्षेत्र, शिक्षा प्रणाली तथा समग्र रूप से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा। सरकार ने मार्च, 2020 में "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना" के तहत ₹ 1.70 लाख करोड़ के प्रथम राहत पैकेज और मई, 2020 में 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के तहत ₹ 20 लाख करोड़ के व्यापक प्रोत्साहन-सह-राहत पैकेज की घोषणा की। इन राहत उपायों के साथ ही वर्षों से सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास ओर कल्याणकारी योजनाओं ने कोविड-19 महामारी के प्रकोप से जूझने के लिये देशों को समर्थ बनाया और अर्थव्यवस्था में V-आकार का सुधार हुआ।

सामाजिक क्षेत्र में खर्च के रुझान (Trends in Social Sector Expenditure)

- केंद्र और राज्यों द्वारा सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में सामाजिक सेवाओं (शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक क्षेत्रों) पर व्यय सरकारी बजट में सामाजिक सेवाओं का सापेक्ष महत्त्व भी है जैसा कि कुल बजटीय खर्चों में से सामाजिक सेवाओं पर व्यय के हिस्से के रूप में मापा जाता है, वर्ष 2018-19 के 25.4 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2020-21 (बीई) में 26.5 प्रतिशत हो गया है।

सरकार द्वारा सामाजिक सेवा क्षेत्र व्यय में रुझान (केंद्र और राज्यों का संयुक्त रूप से)

मद	2018-19	2019-20 आरई	2020-21 बीई
			(₹ लाख करोड़ में)
कुल बजट व्यय	50.41	58.76	64.70
सामाजिक सेवा पर खर्च जिसमें से:	12.78	15.31	17.16
(i) शिक्षा	5.26	6.13	6.75
(ii) स्वास्थ्य	2.66	3.12	3.51

दृष्टि The Vision

अब दृष्टि लर्निंग ऐप पर लाइव क्लासेज़ शुरू

टीम दृष्टि की नई प्रस्तुति

क्लासरूम शिक्षण जैसी ही ऑनलाइन पढ़ाई

IAS फाउंडेशन लाइव बैच

सामान्य अध्ययन (प्रिलिम्स + मेन्स)

लाइव क्लासेज़

दृष्टि लर्निंग ऐप द्वारा

एडमिशन प्रारंभ | प्रतिदिन एक क्लास

एडमिशन प्रारंभ

शुल्क : ~~₹100000~~ ₹90000

सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों की 500+ लाइव कक्षाओं के साथ ये सुविधाएँ एकदम निशुल्क

3 वर्षों तक प्रिलिम्स टेस्ट सीरीज़ ~~₹24000/-~~ निशुल्क	3 वर्षों तक प्रिलिम्स क्रैश कोर्स ~~₹15000/-~~ निशुल्क	सभी टॉपिक्स के प्रिंटेड नोट्स ~~₹15000/- (DLP)~~ निशुल्क
मुख्य परीक्षा के 24 टेस्ट ~~₹10000/-~~ निशुल्क	3 वर्षों तक करेंट अफेयर्स टुडे ~~₹4320/-~~ निशुल्क	प्रिलिम्स प्रैक्टिस सीरीज़ (6 बुक्स) ~~₹1815/-~~ निशुल्क
	मेन्स कैप्सूल सीरीज़ (5 बुक्स) ~~₹1240/-~~ निशुल्क	

छूट की कुल राशि : ₹71,375/-

ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स

सामान्य अध्ययन (प्रिलिम्स + मेन्स)

डॉ. विकास दिव्यकीर्ति के मार्गदर्शन में

मोड : पेन ड्राइव

एडमिशन प्रारंभ

अब घर बैठे कीजिये आई.ए.एस. की संपूर्ण तैयारी क्योंकि हम आ रहे हैं आपके घर

अतिरिक्त जानकारी के लिये 9311406442 नंबर पर कॉल करें या GS लिखकर मैसेज या वाट्सएप करें

इंस्टॉलमेंट्स पर भी उपलब्ध ! लॉग-इन कीजिये : www.drishtiIAS.com

अपने एंड्रॉयड फोन पर इंस्टॉल करें Drishti Learning App

1 बजट (2021–22) (Budget 2021-22)

बजट का सार (2021-22)

(₹ करोड़ में)

	2019-2020 वास्तविक	2020-2021 बजट अनुमान	2020-2021 संशोधित अनुमान	2021-2022 बजट अनुमान
1. राजस्व प्राप्तियाँ (Revenue Receipts)	1684059	2020926	1555153	1788424
2. कर राजस्व (Tax Revenue) (केंद्र को निवल)	1356902	1635909	1344501	1545396
3. कर–भिन्न राजस्व (Non-Tax Revenue)	327157	385017	210652	243028
4. पूंजी प्राप्तियाँ (Capital Receipts)	1002271	1021304	1895152	1694812
5. ऋणों की वसूली (Recovery of Loans)	18316	14967	14497	13000
6. अन्य प्राप्तियाँ (Other Receipts)	50304	210000	32000	175000
7. उधार और अन्य देयताएँ* (Borrowings and Other Liabilities)	933651	796337	1848655	1506812
8. कुल प्राप्तियाँ (1 + 4) (Total Receipts)	2686330	3042230	3450305	3483236
9. कुल व्यय (10 + 13) (Total Expenditure)	2686330	3042230	3450305	3483236
10. राजस्व खाते पर जिसमें से (On Revenue Account of which)	2350604	2630145	3011142	2929000
11. ब्याज भुगतान (Interest Payments)	612070	708203	692900	809701
12. पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान (Grants in Aid for creation of Capital Assets)	185641	206500	230376	219112
13. पूंजी खाते पर (On Capital Account)	335726	412085	439163	554236
14. राजस्व घाटा (10 – 1) (Revenue Deficit)	666545 (3.3)	609219 (2.7)	1455989 (7.5)	1140576(5.1)
15. प्रभावी राजस्व घाटा (14 – 12) (Effective Revenue Deficit)	480904 (2.4)	402719 (1.8)	1225613 (6.3)	921464 (4.1)
16. राजकोषीय घाटा [9 – (1 + 5 + 6)] (Fiscal Deficit)	933651 (4.6)	796337 (3.5)	1848655 (9.5)	1506812 (6.8)
17. प्राथमिक घाटा (16 – 11) (Primary Deficit)	321581 (1.6)	88134 (0.4)	1155755 (5.9)	697111 (3.1)

*इससे नगदी शेष में आहरण द्वारा कमी (Drawdown of Cash Balance) शामिल है।

बजट की रूपरेखा (Budget Profile)

(₹ लाख करोड़ में)
(In ₹ lakh crore)

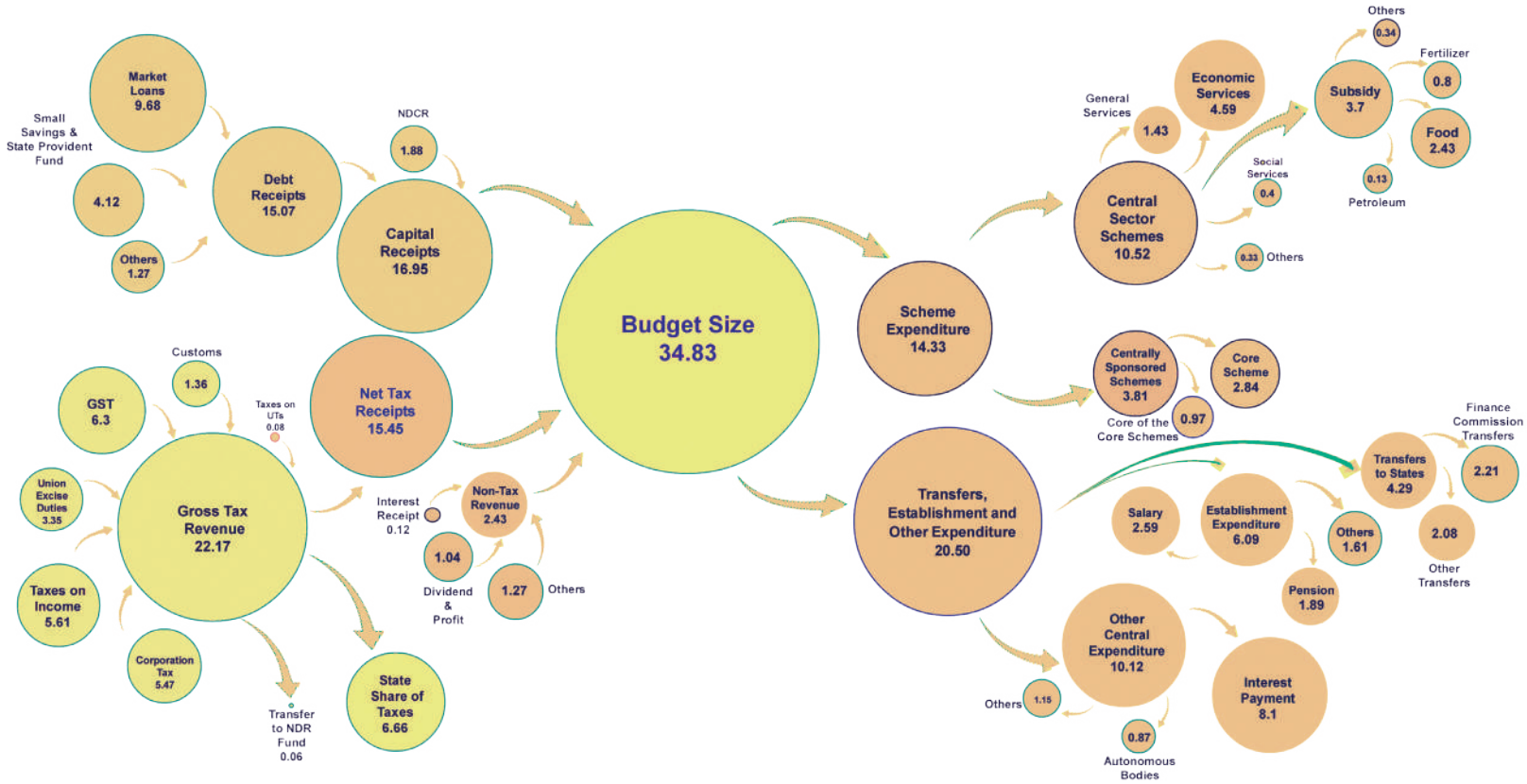

2 प्रमुख सरकारी योजनाएँ (Major Government Schemes)

सरकारी योजनाओं से संबंधित परिभाषाएँ एवं तथ्य (Definitions and Facts Related to Government Schemes)

- अक्तूबर 2015 में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के युक्तीकरण पर मुख्यमंत्रियों के उप समूह (The Sub-Group of Chief Ministers on Rationalisation of Centrally Sponsored Schemes) ने अपनी रिपोर्ट नीति आयोग को सौंपी थी। इसकी अध्यक्षता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। इसके आधार पर केंद्र सरकार ने योजनाओं की संरचना और वित्त पोषण में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किया।
- केंद्र सरकार की योजनाएँ मुख्यता दो प्रकार की होती हैं–
  - केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ (Central Sector Schemes)
  - केंद्र प्रायोजित योजनाएँ (Centrally Sponsored Schemes)
- केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं का प्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है तथा इनका संबंध संविधान की सातवीं अनुसूची के संघ सूची में आने वाले विषयों से है। इन्हें संघ सरकार के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के तहत कार्य करने वाली संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है और ये संघ सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषित हैं।
- केंद्र प्रायोजित योजना का संबंध संविधान की सातवीं अनुसूची के राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल विषयों से हैं। इन योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकारों के माध्यम से किया जाता है और इनकी आर्थिक लागत को केंद्र और राज्यों के बीच सामान्यत: साझा किया जाता है।
- उप समूह ने सिफारिश की थी कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं की कुल संख्या 30 से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- केंद्र प्रायोजित योजना को कोर और वैकल्पिक योजनाओं में विभाजित किया गया है।
  - **कोर योजनाएँ:** इसमें वे केंद्र प्रायोजित योजनाएँ शामिल हैं जिनका एजेंडा राष्ट्रीय विकास है तथा यहाँ केंद्र और राज्य सरकार को टीम इंडिया की भावना के साथ मिलकर काम करना है।
  - **कोर ऑफ कोर योजनाएँ:** वे योजनाएँ जो सामाजिक संरक्षण और सामाजिक समावेशन के लिये आवश्यक हैं और नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा के लिये उपलब्ध धन पर प्राथमिक रूप से भारित हैं।
  - **वैकल्पिक योजनाएँ:** इन योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकारों की इच्छा पर निर्भर है तथा वे इनका चयन करने के लिये स्वतंत्र हैं। इन योजनाओं के लिये वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों को एकमुश्त राशि आवंटित की जाती है।
- कोर ऑफ कोर योजनाओं का वित्त पोषण अपने पूर्व रूप में ही जारी रहेगा।
- कोर योजनाओं के संबंध में वित्त पोषण निम्न आधार पर होगा–
  - उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालयी राज्यों के लिये केंद्र और राज्य सरकार के मध्य 90:10 में लागत साझा होगी।
  - अन्य राज्यों के लिये केंद्र और राज्य 60:40 में लागत साझा करेंगे।
  - जिन संघ राज्यक्षेत्रों में विधायिका नहीं है वहाँ केंद्र सरकार 100 प्रतिशत और विधायिका वाले संघ राज्यक्षेत्रों में पूर्व निर्धारित वित्त पोषण जारी रहेगा।
- वैकल्पिक योजनाओं के लिये वित्त पोषण निम्न आधार पर होगा–
  - उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालयी राज्यों के लिये केंद्र और राज्य सरकार के मध्य 80:20 में लागत साझा होगी।
  - जिन संघ राज्यक्षेत्रों में विधायिका नहीं है वहाँ केंद्र सरकार 100 प्रतिशत और विधायिका वाले संघ राज्यक्षेत्रों में 80:20 में लागत साझा करेंगे।
- केंद्र प्रायोजित योजना को निर्मित करते समय केंद्रीय मंत्रालय राज्यों को घटकों के चयन में लचीलापन प्रदान करेंगे जैसा कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत उपलब्ध है।
- इसके अलावा, प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना में उपलब्ध फ्लेक्सी-फंड को राज्यों के लिये 10 प्रतिशत के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 25 प्रतिशत और केंद्रशासित प्रदेश के लिये 30 प्रतिशत कर दिया गया है ताकि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अपनी विशिष्ट आवश्यकताएँ बेहतर तरीके से पूर्ण कर सकें।
- बजट 2021-22 के अनुसार कोर ऑफ कोर योजनाएँ निम्न हैं–
  1. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम
  2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्यक्रम – मनरेगा
  3. अनुसूचित जातियों के विकास के लिये अम्ब्रेला योजना
  4. अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिये अम्ब्रेला योजना
  5. अल्पसंख्यकों के विकास के लिये अम्ब्रेला कार्यक्रम
  6. अन्य कमज़ोर समूहों के विकास के लिये अम्ब्रेला कार्यक्रम
- वित्तीय वर्ष 2021–22 में 29 कोर योजनाओं को शामिल किया गया है। इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जल जीवन मिशन इत्यादि प्रमुख हैं।

एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड

जनवरी 2021 तक एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड योजना (One Nation One Ration Card) में 32 राज्य/संघ राज्यक्षेत्र शामिल हो गए हैं। इसका लाभ लगभग 69 करोड़ लाभार्थियों को प्राप्त हो रहा है।

क्रियान्वयन एजेंसी

इस योजना का क्रियान्वयन 'केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय' द्वारा किया जा रहा है।

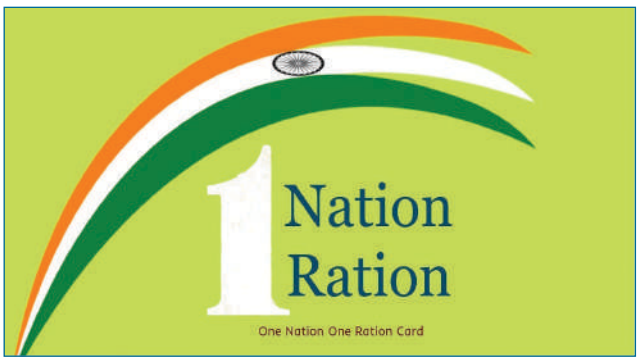

प्रमुख बिंदु

- यह योजना संपूर्ण देश में 'खाद्य सुरक्षा की पोर्टेबिलिटी' उपलब्ध कराती है।
- यह 'खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013' का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करती है।
- इस योजना के लिये सभी राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है तथा 'पॉइंट ऑफ सेल' मशीन से खाद्यान्न वितरण किया जाएगा।
- इस योजना में गरीब, मज़दूर और ऐसे लोग लाभान्वित होंगे जो जीविका, रोज़गार या किसी अन्य कारण से एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करते हैं।
- NFSA के अंतर्गत ऐसे राशन कार्ड जिनसे पिछले 6 महीनों में कम-से-कम एक आधार प्राधिकृत लेनदेन हुआ है वे सभी इस योजना के अंतर्गत नेशनल पोर्टेबिलिटी लेनदेन के लिये पात्र होंगे।
- राज्य सरकारों से राशन कार्ड द्विभाषी प्रारूप में जारी करने का अनुरोध किया गया है, जिसमें स्थानीय भाषा के अलावा अन्य भाषा अंग्रेज़ी या हिंदी हो सकती है।
- नए प्रारूप के राशन कार्ड में 10 अंकों का मानक राशन कार्ड नंबर होगा। राशन कार्ड के पहले दो अंक राज्य का कोड होंगे।

प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान धन योजना

12 सितंबर, 2019 को छोटे दुकानदारों एवं खुदरा व्यापारियों को वृद्धावस्था में पेंशन प्रदान करने तथा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान धन योजना (National Pension Scheme for Traders & Self Employed) शुरू की गई। इसके अंतर्गत 40 हज़ार से ज़्यादा लाभार्थी शामिल हैं।

क्रियान्वयन एजेंसी

इस योजना के क्रियान्वयन के लिये नोडल एजेंसी जीवन बीमा निगम (LIC) है।

प्रमुख बिंदु

- वे सभी दुकानदार और खुदरा व्यापारी जो जीएसटी के तहत पंजीकृत हैं और जिनका वार्षिक कारोबार ₹1.5 करोड़ से अधिक नहीं है। वे इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
- इसके तहत आयकर दाता तथा केंद्र सरकार के अंशदान वाली अन्य राष्ट्रीय पेंशन योजना के लाभार्थी शामिल नहीं हो सकते हैं।
- इस नई पेंशन योजना में लगभग 3 करोड़ से अधिक लाभार्थी शामिल होंगे।
- इस योजना में 18-40 आयु वर्ग के व्यापारी शामिल हो सकते हैं।
- इस पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद लाभार्थियों को ₹3000 मासिक दिये जाएंगे।
- यह एक समान पेंशन प्रीमियम योगदान योजना है जिसमें केंद्र सरकार लाभार्थी के खाते में एक समान राशि का योगदान करेगी।
- इस योजना में आवेदन करने हेतु लगभग 3,50,000 कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs) की स्थापना की गई है।

निर्विक योजना

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2020-21 भाषण के दौरान निर्विक योजना (NIRVIK Scheme) की घोषणा की थी। इसका संबंध निर्यात को प्रोत्साहन देना है।

उद्देश्य

निर्यातकों को उच्च बीमा कवर प्रदान करना तथा छोटे निर्यातकों के लिये प्रीमियम राशि कम करना। इसके साथ ही दावा निपटान प्रक्रिया को सरलीकृत बनाना।

क्रियान्वयन एजेंसी

इसका क्रियान्वयन 'वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय' के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम 'भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ECGC)' द्वारा किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- 'निर्विक' को 'निर्यात ऋण बीमा योजना (ECIS)' के नाम से भी जाना जाता है।
- यह एक बीमा गारंटी योजना है, जो 90 प्रतिशत मूलधन एवं ब्याज़ को समाविष्ट करेगी।
- इसमें प्री और पोस्ट शिपमेंट ऋण दोनों सम्मिलित होंगे।
- अब तक ECGC 60 प्रतिशत हानि तक की ऋण गारंटी प्रदान कर रही थी।
- इस योजना से निर्यातकों को ऋण उपलब्धता में वृद्धि होगी।
- इस योजना से निर्यातकों की बीमा लागत कम होगी तथा 'व्यापार सुगमता सूचकांक' में भारत का स्थान सुधरेगा।

घर बैठे IAS/PCS की संपूर्ण तैयारी करने के लिये आपका स्वागत है

Drishti Learning App पर

GET IT ON Google Play

अपने एंड्रॉयड फोन पर आज ही इंस्टॉल करें

ऐप की विशेषताएँ

- टीम दृष्टि द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाएँ एक ही मंच पर।
- ऑनलाइन, पेनड्राइव मोड में कक्षाएँ उपलब्ध।
- प्रिलिम्स और मेन्स की टेस्ट सीरीज़ भी ऐप के माध्यम से उपलब्ध।
- सभी पुस्तकें, मैगजीन, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के नोट्स देखने व मंगवाने की सुविधा।

ऑनलाइन कोर्स की विशेषताएँ

- घर बैठे देश के सर्वोत्कृष्ट अध्यापकों से पढ़ने की सुविधा।
- अब दिल्ली या किसी बड़े शहर जाकर पढ़ने की मजबूरी नहीं।
- IAS और PCS के कोर्स उपलब्ध।
- ऑनलाइन कोर्स करने के बाद, क्लासरूम कोर्स में प्रवेश लेने पर शुल्क में विशेष छूट।
- हर क्लास अपनी सुविधा से 3 बार देखने की सुविधा।
- उत्तर लिखकर चेक कराने तथा संदेह-समाधान की व्यवस्था भी शीघ्र उपलब्ध।
- कई विषयों के कोर्स ऑनलाइन और पेनड्राइव मोड में भी उपलब्ध।

दृष्टि आई.ए.एस. (दिल्ली शाखा) का पता
641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-09
8448485519, 87501 87501, 011-47532596

दृष्टि आई.ए.एस. (प्रयागराज शाखा) का पता
ताशकंद मार्ग, निकट पत्रिका चौराहा, सिविल लाइन्स, प्रयागराज
8448485518, 8750187501, 8929439702

दृष्टि आई.ए.एस. (राजस्थान शाखा) का पता
प्लॉट नंबर-45 व 45-A, हर्ष टावर-2, मेन टोंक रोड़, वसुंधरा कॉलोनी, जयपुर राजस्थान-302018
8448485518, 8750187501, 8929439702

दृष्टि पब्लिकेशन्स की प्रमुख पुस्तकें

641, 1st Floor, Dr. Mukherji Nagar, Delhi-110009
Phone: 011-47532596, 87501 87501
Website: www.drishtiias.com
E-mail: booksteam@groupdrishti.com

मूल्य : ₹ 260